



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4200/2012

1. भागीरथी आदिले पिता महाजन आदिले, आयु लगभग 62 वर्ष, पोड़ी दल्हा, तहसील अकलतरा जिला:
जांजगीर-चांपा छ.ग., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव वन विभाग, डीकेएस भवन रायपुर जिला:रायपुर छ.ग., छत्तीसगढ़
2. वन मंडल अधिकारी बिलासपुर वन मंडल बिलासपुर छ.ग., जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक कोषागार लेखा एवं पेंशन बिलासपुर जिला बिलासपुर छ.ग., जिला: बिलासपुर,
छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 396/2017

1. निर्मला साहू पति स्व. श्री डी. आर. साहू, आयु लगभग 62 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता, शासकीय
उच्चतर माध्यमिक शाला, अंडा, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर,
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, महालेखाकार भवन, थाना राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला:
रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़, थाना सिटी कोतवाली, दुर्ग, छत्तीसगढ़,
जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संचालक लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़,
जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, अंडा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 432/2017

1. एस. एम. नियारिया पिता स्व. शेख मोहम्मद मारिया, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी- वार्ड क्रमांक 4, साहूपा, घरघोड़ा, पं.स. घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, सामान्य प्रशासन विभाग पेंशन समिति, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, घरघोड़ा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1210/2014

1. एम.आर.कुलदीप पिता धनवा कुलदीप, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी- ग्राम शंकरपुर, थाना, पोस्ट व तहसील फरसगरोन, राजस्व जिला कोंडागांव, सिविल जिला जगदलपुर बस्तर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़, जिला: कोंडागांव, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास, विकासखण्ड फरसगांव, जिला बस्तर, सीजी, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़



6. संयुक्त संचालक, लेखा, पेंशन एवं कोष, जगदलपुर, जिला बस्तर, छग, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
7. जिला कोषालय अधिकारी, बस्तर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छग, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
8. जिला कोषालय अधिकारी, कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छ.ग., जिला: कोंडागांव, छत्तीसगढ़
9. महालेखाकार, पगारिया कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1364/2012

1. मोहम्मद याकूब खान

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य अम्बिकापुर जिला सरगुजा छग
2. पुलिस अधीक्षक सरगुजा अम्बिकापुर जिला सरगुजा छग
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी कार्यालय लेखाकार जनरल पगारिया कॉम्प्लेक्स पंडरी रायपुर छग
4. पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर छग

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2063/2012

1. शेओ सिंह क्षत्रिय पिता स्व. श्री धर्म सिंह निवासी डी-170 अज्ञेय नगर जिला- बिलासपुर छ.ग

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएँ, छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़
2. संयुक्त संचालक, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर छग
3. संयुक्त संचालक, लेखा कोषालय एवं पेंशन बिलासपुर छग

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2133/2017

1. शिव लाल साहू पिता आशा राम साहू, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी-मधार्ईभाठा, विकासखण्ड बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़



--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़
6. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सरसिवा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2274/2017

1. ज्ञानेश करमाहे पिता स्व. आर.एन. करमाहे, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त पी. टी. आई. शिक्षक व्यायाम शिक्षक शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव वित्त विभाग, महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
5. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
6. सिद्धांत, महंत राजा बलराम दास, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार, रायपुर, कार्यालय महालेखाकार, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2315/2013

1. अरुण कुमार नेताम पिता स्व. बंसल लाल नेताम आयु लगभग 62 वर्ष, सेवानिवृत्त वन रेंज गार्ड निवासी- झंकार टॉकीज के सामने थाना सिटी कोतवाली चौकी जगदलपुर जिला: बस्तर छ.ग., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य द्वारा- सचिव, वन विभाग ,मंत्रालय नया रायपुर थाना राखी, रायपुर छ.ग., छत्तीसगढ़
2. प्रबंध निदेशक जिला लघु वनोपज सहकारी समिति अडाका थाना नारायणपुर पोस्ट एवं जिला. नारायणपुर छत्तीसगढ़ , जिला: नारायणपुर, छत्तीसगढ़
3. वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर वनमण्डल थाना. नारायणपुर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़, जिला: नारायणपुर, छत्तीसगढ़
4. कलेक्टर नारायणपुर थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ , जिला : नारायणपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2325/2013

1. धर्म राज सोनी पिता सूरज पाल सोनी, आयु लगभग 66 वर्ष, व्यवसाय- सेवानिवृत्त व्यायाम शिक्षक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, जिला बिलासपुर छ.ग. वर्तमान में निवासी हटरी चौक करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर छ.ग.

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. लेखा अधिकारी लेखा एवं पेंशन कार्यालय, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला लेखा अधिकारी बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़



6. प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, लोरमी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2415/2017

1. बिहारीलाल वस्त्रकार पिता स्व. श्री दादूराम वस्त्रकार, आयु लगभग 67 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, निवासी- ग्राम डगनिया खैरा, थाना- सीपत, तहसील एवं जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार कार्यालय, द्वारा- मुख्य लेखा अधिकारी, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2455/2017

1. कन्हैयालाल कौशिक पिता स्व. श्री चुन्नू लाल कौशिक, आयु लगभग 76 वर्ष, जाति: नाई, सेवानिवृत्त शिक्षक, निवासी वार्ड क्रमांक 05 पाण्डेपारा बालोद, थाना, तहसील व जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़



3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार और दावे छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो पॉइंट बलौदा बाजार रोड के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2457/2017

1. श्यामलाल सोनबोइर पिता स्व. श्री बाल सिंह सोनबोइर, आयु लगभग 72 वर्ष, सेवानिवृत्त शिक्षक, निवासी ग्राम एवं पोस्ट भर्रीटोला, तहसील डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भर्रीटोला, विकासखण्ड डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावे छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट बलौदा बाजार रोड के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2493/2017

1. रामा प्रसाद सोनवानी पिता स्व. श्री जैतराम सोनवानी, आयु लगभग 72 वर्ष सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, निवासी- ग्राम खोडल, पोस्ट सरगबुंदिया, वाया भैसमा, तहसील कोरबा, जिला कोरबा, नागरिक एवं राजस्व जिला कोरबा छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़



2. आयुक्त, संचालनालय, कोष एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
6. प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला रामपुर, विकासखण्ड करतला, जिला कोरबा छत्तीसगढ़., जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2555/2012

1. ए.ए.फिरदोसी पिता श्री अब्दुल हामिद फिरदोसी, सेवानिवृत्त उपयंत्री डब्ल्यू.आर.डी. निवासी- ग्राम एवं पोस्ट - बरगीडीह, सरगुजा छ.ग., वर्तमान पता - खरसिया रोड, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा छ.ग
2. संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर, जिला. - सरगुजा छ.ग
3. कार्यपालन अभियंता ताप विद्युत परियोजना, संभाग-अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छ.ग

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2600/2017

1. मायाराम साण्डे पिता स्व.अमरदास साण्डे, आयु लगभग 62 वर्ष, सेवानिवृत्त भृत्य, निवासी ग्राम खोरसी, पोस्ट टिकारी, वाया मस्तूरी, सिविल व राजस्व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रमगड़ा, विकासखंड कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़



5. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2615/2017

1. केदारनाथ राठौड़ पिता स्व. भूपदेव प्रसाद राठौड़, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी- पोर्था सक्ती, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर- चांपा, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, पोर्था, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2621/2017

1. धनसाय साहू पिता श्री खेदूराम साहू, आयु लगभग 73 वर्ष सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, ग्राम सर्रागोंदी पोस्ट सिंगारघाट, विकासखण्ड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़., जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2643/2017

1. सुखरू राम धुर्वे पिता स्व. श्री रूपरू राम धुर्वे, आयु लगभग 70 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता, ग्राम कुकुमुड़ा, पोस्ट बाजार अतरिया, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, जालबांधा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2655/2017

1. सुदरूराम निषाद पिता श्री प्रेम सिंह निषाद, आयु लगभग 72 वर्ष सेवानिवृत्त प्रधानअध्यापक, प्राथमिक शाला, गांव और पोस्ट बिजेताला, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़



2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर, संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड खैरागढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2657/2017

1. श्रीमती. सोनिया साहू पति स्व.श्री तिरम्मदास साहू, आयु लगभग 68 वर्ष, ग्राम बेंदीडीह पोस्ट पड़ादाह, विकासखण्ड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2660/2017

1. श्रीमती निर्मला तिवारी पति स्व. श्री रवीन्द्र कुमार तिवारी, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी- वार्ड क्रमांक 11, किलापारा विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर, संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2664/2017

1. श्रीमती अजीजा बेगम पिता स्व. श्री निजामुद्दीन, आयु लगभग 66 वर्ष, तुरकारीपारा, विकासखण्ड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2687/2017



1. श्रीमती सुंदरमती पति बरातू राम मिरी, आयु लगभग 58 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी, निवासी- ग्राम चारपारा, विकासखण्ड व थाना मालखरौदा सिविल व राजस्व जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नई रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार रायपुर छत्तीसगढ़ जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड करतला, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2708/2017

1. नंदलाल साहू पिता स्व. लल्लू प्रसाद साहू, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी- पुरैनी मंडी रोड, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द, जिला महासमुन्द, छ.ग., जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बागबाहरा, छत्तीसगढ़., जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़ जिला महासमुंद,
4. जिला कोषालय अधिकारी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2734/2017

1. महेश्वर नंदे पिता स्व. मुनु नंदे, आयु लगभग 74 वर्ष, निवासी ग्राम डुमरपाली सरायपाली, तहसील सरायपाली, जिला महासमुंद छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता



विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. पेंशन निपटान समिति, छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा- अध्यक्ष-सह-प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद छत्तीसगढ़, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सरायपाली, जिला महासमुन्द छ.ग., जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2742/2017

1. सुधराम जोगी पति स्व. लोरसराम जोगी, आयु लगभग 74 वर्ष सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला रामपुर निवासी सिंचाई कॉलोनी, जिला कोरबा कोरबा छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव वित्त विभाग, महानदी भवन नई रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर संभाग जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2794/2017

1. कु. बसंती केरकेड़ा पिता सिलवेस्टर केरकेड़ा, आयु लगभग 50 वर्ष, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला गिनाबहार, विकासखण्ड कुनकुरी, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक लोक शिक्षण, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, जिला: जशपुर, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक शाला, गिनाबहार, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, जिला: जशपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2796/2017

1. श्याम सुंदर साहू पिता खगेश्वर साहू, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी- ग्राम व पोस्ट रोहिना, तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक, संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला, भंवरपुर, विकासखंड बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2866/2017

1. पारसनाथ जायप्रश्र पिता स्व. जगरनाथ प्रसाद जायप्रश्र, आयु लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, प्रतापपुर निवासी- नगर पंचायत प्रतापपुर के सामने प्रतापपुर पोस्ट प्रतापपुर थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता



विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़,
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखा एवं ई निधि कार्यालय 04, बलौदा बाजार रोड रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला रायपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़, जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2878/2017

1. त्रिभुवन लाल सेन पिता मेहतरराम, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी- ग्राम व पोस्ट सांकरा, तहसील व जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड डोंडीलोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट बलोदा बाजार रोड के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2911/2017

1. खम्हन लाल बिजौरा पिता स्व. श्री राम बिजौरा, आयु लगभग 74 वर्ष निवासी- ग्राम कुर्मी गुडरा, पोस्ट दरबार मोखली, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल विभाग शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2914/2017

1. रामलाल निषाद पिता स्व. श्री घासीराम निषाद, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी- ग्राम- कुसमुरा, डाकघर- कोतरा, तहसील एवं जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा-सचिव, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2922/2017

1. सुखीराम साहू पिता स्व. दादूराम साहू, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी- ग्राम चरखापारा, पोस्ट बकारुमा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पत्थलगांव, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, जिला: जशपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2930/2017

1. हीरालाल ठाकुर पिता स्व. भवानी ठाकुर, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी- ग्राम एवं पोस्ट सेलूद, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, स्कूल विभाग शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2936/2017

1. श्रीमती विमला बाई यदु पति स्व. श्री बलिराम यदु , आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी- ग्राम एवं पोस्ट मर्गा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल विभाग शिक्षा मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2943/2017



1. बिसाहू सिंह ठाकुर पिता स्व. श्री रामसहाय सिंह ठाकुर, आयु लगभग 76 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला, ग्राम बिडौरी पोस्ट मड़ौदा, विकासखण्ड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2956/2017

1. कु. कामिनी सिंह पिता स्व. श्री एल. टी. सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, वार्ड क्रमांक 4, राज परिवार विकासखण्ड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़,

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2957/2017



1. तुकाराम माहेश्वरी पिता देहरा माहेश्वरी, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी- ग्राम एवं पोस्ट सांकरा जे तहसील एवं जिला बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड डोंडीलोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2958/2017

1. श्रीमती. सिंधुसुता तिवारी पति श्री जी. पी. तिवारी, आयु लगभग 69 वर्ष, सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक, निवासी बखशी मार्ग विकासखण्ड खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2966/2017



1. श्रीमती माधुरी देवी राठौड़ पति स्व. श्री राम कृष्ण राठौड़, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी- ग्राम व पोस्ट सपिया, तहसील मालखौदा, सिविल व राजस्व जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. भारतीय स्टेट बैंक, अपने मुख्य प्रबंधक, खरसिया शाखा 02864, पी.बी. क्रमांक 1 डभरा रोड, खरसिया, रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
3. केन्द्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल, भिण्ड कामकाजी महिला छात्रावास गोविंदपुरा, भोपाल एम. पी. पी. आई एन 462023, जिला: भोपाल, मध्य प्रदेश
4. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2968/2017

1. राजकुमार चतुर्वेदी पिता श्री नारायण प्रसाद, आयु लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला सारदा निवासी- आवासपारा, रानीगांव, लोरमी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, वित्त विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, मुंगेली जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक कोषालय, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, संभाग जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, मुंगेली जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़
7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, लोरमी, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़



---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2983/2017

1. चंदूराम जाटवर पिता स्व. सुखराम जाटवर, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त प्राचार्य निवासी ग्राम भोजपुर, कॉलेज मोड, सारंगढ़, सिविल व राजस्व जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, स्कूल विभाग शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक, संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
5. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2984/2017

1. हर्षवर्धन राव भोसले पिता स्व. मल्हार राव भोसले, आयु लगभग 54 वर्ष, उच्च श्रेणी शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, कोटमीसोनार अकलतरा के रूप में कार्यरत, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, निवासी जनकदेव मिश्रा के घर के पास, बंधवापारा, सरकंडा, बिलासपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक लोक शिक्षण रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोटमीसोनार, जिला छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2988/2017

1. बोधि राम साहू पिता स्व. हिराऊराम साहू, आयु लगभग 71 वर्ष निवासी- ग्राम सोहपुर, पोस्ट- निपानी, थाना एवं तहसील- बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी बालोद जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील अधिकारी परिसर, बालोद जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखंड डौंडीलोहारा, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट बलौदा बाजार रोड के पास, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2993/2017

1. नारायण सिंह चंद्राकर पिता स्व. प्रभु राम चंद्राकर, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी- ग्राम अमाबोरी एवं पोस्ट मराट, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी. एफ. एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2996/2017



1. के.के. चौहान पिता श्री कानजी चौहान, आयु लगभग 85 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 2, सर्वश्वनी नगर, श्रमिक उच्चतर माध्यमिक शाला के सामने, कोतरा रोड, रायगढ़, जिला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
2. निदेशक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला लेखापाल अधिकारी, रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, जिला : रायगढ़, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर छत्तीसगढ़,
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, चक्रधर नगर, रायगढ़, जिला: रायगढ़ छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2998/2017

1. ताजी राम साहू पिता स्व. जोहन राम साहू, आयु लगभग 81 वर्ष, निवासी- ग्राम निपानी एवं पोस्ट रानी तराई, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3000/2017

1. गिरधर बंधोर पिता स्व. राम प्रताप बंधोर, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी- ग्राम दरबार मोखली, एवं पोस्ट दरबार मोखली, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़



2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पाटन जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3015/2017

1. मंशा राम यादव पिता स्व. सुखदेव राम यादव, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी- ग्राम एवं पोस्ट कनाकोट, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, लेखा/ पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3016/2017

1. मोहनलाल धनकर पिता भागबली धनकर आयु लगभग 70 वर्ष निवासी- ग्राम जगतारा, पोस्ट जमरुवा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड डोंडीलोहारा, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़



5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ जीरो प्वाइंट के पास बलौदा बाजार रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3032/2017

1. हेतराम सिदार पिता स्व. श्री हृदयराम सिदार आयु लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम- पोरदा, तहसील- घरघोड़ा, जिला- रायगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा- सचिव , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3041/2017

1. श्रीमती प्रेमलता सिंह पति स्व. श्री रामेन्द्र सिंह ठाकुर आयु लगभग 75 वर्ष निवासी- ठेठवारपारा, सिविल लाइन्स, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य ,द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर, संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3050/2017



1. गणेश राम साहू पिता स्व. केजऊ राम साहू, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी –ग्राम एवं पोस्ट सेमरी, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, राजधानी परिसर नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़. , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ , जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ , जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3053/2017

1. दौलतराम बसोने पिता श्री उमेन्द्र बसोने, आयु लगभग 74 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, ग्राम पलाडुर, पी.ओ. मोहारा, तहसील व जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा – सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3061/2017

1. बी.एस. ठाकुर पिता खुमान सिंह ठाकुर, आयु लगभग 75 वर्ष, तुकारीपारा, खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़



--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महंदा भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़. , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3071/2017

1. सैय्यद जुल्फिकार अली पिता सैय्यद नवाब अली, आयु लगभग 74 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, निवासी - महादेव वार्ड, मस्जिद के पास, तहसील व जिला कांकेर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, शिक्षा विभाग , महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3087/2017

1. सर्वदमन साहू पिता श्री कृष्ण साहू, आयु लगभग 80 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला, भगत सिंह चौक, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- सचिव शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



4. महालेखाकार रायपुर। रायपुर जीरो पॉइंट, बलौदा बाजार रोड, विधान सभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3105/2017

1. श्रीमती नलिनी सरोज पति स्व. फ्रैंकलिन बेंजामिन , आयु लगभग 73 वर्ष , निवासी- सांकरा बंगला बालोद, तहसील व जिला बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. जिला शिक्षा अधिकारी बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड डौंडीलोहारा, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट के पास बालोद बाजार रोड, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3107/2017

1. रामशंकर डड़सेना पिता सदाराम डड़सेना, आयु लगभग 64 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत्त व्याख्याता हिंदी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोठारी, वर्तमान निवासी बम्हनीडीह, जिला-जांजगीर चाम्पा छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़

2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला- रायपुर जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला-कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



4. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
5. आयुक्त, उप संचालक बिलासपुर, लेखा, कोषालय एवं पेंशन बिलासपुर, संभाग बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक कोठारी, छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
7. महालेखाकार लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3114/2017

1. बिसाहूलाल चंद्राकर पिता स्व. श्री रामाधीन चंद्राकर, आयु लगभग 67 वर्ष, व्यवसाय- सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला कोडिया मस्तूरी, निवासी मुड़पार तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
2. संचालक, कोषालय, लेखा एवं पेंशन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. कार्यालय महालेखाकार, नई विधानसभा के पास बलौदा बाजार रोड पोस्ट ऑफिस मंदार रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला:बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3115/2017

1. दयालु राम यदु पिता स्व. सखा राम यदु, आयु लगभग 67 वर्ष निवासी ग्राम एवं पोस्ट सेलूद, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3116/2017

1. ए. मुरली पिता पति श्री जेम्स एम.सी. मुरली, आयु लगभग 71 वर्ष, सेवानिवृत्त, कर्मचारियों नर्स, तेथवार पारा, आज़ाद नगर, चिखलाकसा, विकासखण्ड डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, लोक स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, महालेखाकार भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3118/2017

1. खिलावन सिंह बागमार पिता स्व.रामेश्वर प्रसाद बागमार, आयु लगभग 77 वर्ष निवासी ग्राम और पोस्ट मर्गा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3120/2017

1. हेमनाथ साहू पिता स्व. श्री गणेश राम साहू, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी- ग्राम परसाही, पोस्ट फकारी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3121/2017

1. किशोर लाल मिथलेश पिता स्व. श्री सोभा राम मिथलेश, आयु लगभग 81 वर्ष, निवासी- ग्राम निपानी, पोस्ट निपानी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3122/2017



1. मुनी राम ठाकुर पिता स्व. श्री खेदू राम ठाकुर, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी- ग्राम मर्रा, पोस्ट मर्रा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3123/2016

1. श्रीमती विद्यावती सिंह पति श्री अर्तींद्र सिंह, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त नर्सिंग सिस्टर, जिला अस्पताल अंबिकापुर, निवासी फुलवारी रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़ मुख्यालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3123/2017

1. जेम्स एम. सी. मुरली पिता श्री जी. मुरली, आयु लगभग 75 वर्ष सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला, चिखलाकसा विकासखण्ड डोंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, थाना. राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला, चिखलाकसा विकासखण्ड डोंडी जिला बालोद छत्तीसगढ़., जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3124/2017

1. अभय राम देवांगन पिता श्री ध्रुव राम देवांगन, आयु लगभग 67 वर्ष , सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, निवासी ग्राम एवं पोस्ट सुप्रा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3125/2017

1. शफीक मोहम्मद पिता स्व. इशाक मोहम्मद, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी ग्राम झूमरपारा, पोस्ट करंजी रेलवे स्टेशन, तहसील एवं जिला- सूरजपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय राजधानी परिसर, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़



2. जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, जिला : सूरजपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, कोषालय, लेखा एवं पेंशन, राजस्व प्रकोष्ठ, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, जिला : सूरजपुर, छत्तीसगढ़
5. निदेशक, कोषालय, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर, निदेशालय, कोषालय, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3132/2017

1. अहमद मोहम्मद खान पिता शेख रमजान खान, आयु लगभग 62 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला, मसगांव, विकासखण्ड बकावण्ड, बस्तर, जिला- जगदलपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, थाना राखी, तहसील आरंग, नया रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बकावण्ड, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, लेखा, कोष एवं पेंशन, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3136/2017

1. चंद्रिका प्रसाद ठाकुर पिता स्व. श्री झाड़ू राम, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, निवासी ग्राम धौराभाटा, पोस्ट फेकारी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़



2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3151/2017

1. सुखरू राम केशरी पिता महत्तर राम आयु लगभग 74 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 4 लोहार पारा, परेगुड़ा, बरही, बालोद, तहसील व जिला- बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी बालोद बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बालोद, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट के पास बलौदा बाजार रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3153/2017

1. रामधन टंडेल पिता रविदास आयु लगभग 62 वर्ष निवासी ग्राम दीवानपुर मरातराई, तहसील पत्थलगांव, सिविल व राजस्व जिला-जशपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण छत्तीसगढ़ राज्य विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़



2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सूरजपुर, जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सूरजपुर, जिला: सूरजपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3157/2017

1. श्यामलाल टांडिया पिता स्व. राजूराम टांडिया, आयु लगभग 66 वर्ष, जाति गाड़ा, निवासी सलिहापारा भानुप्रतापपुर, तहसील भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार और दावे छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट बलौदा बाजार रोड के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3166/2017

1. श्रीमती कुंती बाई पति स्व. चैन सिंह ठाकुर, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी- दौपारा सोरली, तहसील व जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खेताबाजार, विकासखण्ड डोंडीलोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़



5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावे छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट बलोदा बाजार रोड के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3180/2017

1. भागीरथी भास्कर पिता स्व. श्री छेदीलाल भास्कर, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी- समता कॉलोनी, रुक्मणि बिहार, ताज मस्जिद रोड, एल.आई.सी. कार्यालय के पीछे, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ ए एवं ई, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार सड़क रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

4. जिला शिक्षा अधिकारी, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

5. प्रधानाचार्य, कन्या शिक्षा परिसर, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा

6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा कार्यालय, सामान्य लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3184/2017

1. श्रीमती विमला बाई पटेल पति स्व. श्री खम्मन लाल पटेल, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम कुर्मी गुंडरा और पोस्ट दारमोखली, तहसील- पाटन, सिविल व राजस्व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़



2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पीएफ एन 40, महालेखाकार कार्यालय, लेखा/ पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3194/2017

1. नरोत्तम सिंह कुर्रे पिता स्व. श्री जगत राम कुर्रे आयु लगभग 67 वर्ष सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, निवासी ग्राम-चुनकट्टा, पोस्ट-सेलूद, तहसील- पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाटन, दुर्ग, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3196/2017

1. कु. सुनीता काले पिता स्व. श्री हरीश चंद्र काले, द्वारा- सीमा चंद्रवंशी पिता स्व. श्री हरीश चंद्र काले, आयु लगभग 48 वर्ष निवासी-बुधवारीपारा, वार्ड क्रमांक 15, विकासखण्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, रामटोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़., जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3201/2017

1. मायाराम राजेकर पिता स्व. राजाराम राजेकर, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी- ग्राम- कलकसा, थाना- डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ ए एवं ई, जीरो प्वाइंट, बलौदाबाजार रोड, डाकघर- मंदार, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषाधिकारी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़., जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला- छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव,
6. जिला शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव,

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3206/2017

1. ईश्वर दयाल कौशिक पिता स्व. श्री टेक सिंह कौशिक, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, निवासी ग्राम सौरभ, पोस्ट मर्रा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3212/2017

1. कृष्णराम यादव पिता प्रताप यादव, आयु लगभग 70 वर्ष निवासी- ग्राम चिराईगोड़ी, डाकघर-बी, जामगांव, तहसील एवं जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड डोंडीलोहारा, जिला- बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट बलोदा बाजार रोड के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3214/2017

1. के.डी. यादव पिता स्व. श्री दूधनाथ यादव, आयु लगभग 76 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला, बाचाटोला चुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3271/2017

1. लक्ष्मी प्रसाद दुबे पिता स्व. वेद प्रसाद दुबे, आयु लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बैमा नागोई, बिल्हा, बिलासपुर निवासी ग्राम काठाकोनी, तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव वित्त विभाग, महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, बिलासपुर छत्तीसगढ़., जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़., जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषाधिकारी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़., जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़., जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़., जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3277/2013

1. राम चंद्र शुक्ला पिता स्व. श्री एच.पी. शुक्ला, आयु लगभग 68 वर्ष, जन सूचना एवं शिक्षा अधिकारी, एम.ई.आई.ओ. के पद पर कार्यरत, जिला जन शिक्षा एवं सूचना कार्यालय से 31/05/2005 को सेवानिवृत्त, पता: बी-12, 25 बंगला कॉलोनी, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर, थाना सिविल लाइन्स, तहसील एवं जिला बिलासपुर छ.ग. पिन 495001/, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर 492001 छत्तीसगढ़
2. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, रायपुर छ.ग., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. कलेक्टर बस्तर जगदलपुर, जिला बस्तर जगदलपुर, छ.ग., जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़



4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला. बस्तर जगदलपुर, छ.ग., जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
5. जिला कोषाध्यक्ष, जिला बस्तर जगदलपुर, छ.ग., जिला : बस्तर(जगदलपुर), छत्तीसगढ़
6. संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर छ.ग., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3288/2017

1. कैलाश रात्रे पिता स्व. महेश राम रात्रे, आयु लगभग 66 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला गोपालपुर, कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव वित्त विभाग महानदी भवन नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, रायपुर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक कोषालय, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
6. प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, छुरी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
7. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
8. उप कोषालय अधिकारी, कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3312/2017

1. श्रीमती. गौरी राठौड़ पति अर्जुन लाल राठौड़, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी- तलवापारा रोड, पुरानी बस्ती जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव लोक शिक्षण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़



2. संचालक लोक शिक्षण विभाग, रायपुर, जिला रायपुर छ.ग., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. कार्यालय महालेखाकार, लेखा छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3326/2017

- 1 . राम गोपाल जांगड़े पितास्व. लालजी जांगड़े, आयु लगभग 62 वर्ष, सेवानिवृत्त उपखण्ड अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, निवासी समर्पण अस्पताल के पीछे, आदर्श नगर, मोवा, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रायपुर मंडल, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग बेमेतरा, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़, जिला: बेमेतरा, छत्तीसगढ़
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, विकास भवन, सिविल लाइन, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3332/2017

1. जगदीश चन्द्र कनौजिया पिता रामचन्द्र कनौजिया आयु लगभग 64 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 11, बागीछपरा, सुकमा, जिला सुकमा छत्तीसगढ़



--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव जनजातीय विभाग विकास, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. उप सचिव आदिवासी विकास विभाग, महानदी बहावन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. कार्यालय महालेखाकार, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. कार्यालय जिला कोषाधिकारी, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़, जिला : सुकुमा, छत्तीसगढ़
5. कलेक्टर, जिला सुकमा छत्तीसगढ़, जिला: सुकुमा, छत्तीसगढ़
6. प्राचार्य शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला सुकमा, जिला: सुकुमा, छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3361/2017

1. शेख शरीफ कुरैशी पिता श्री शेख करीम कुरैशी आयु लगभग 76, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, शासकीय प्राथमिक बालक शाला, चुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, छुरिया, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

----उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3402/2017

1. श्रीमती प्रमिला ठाकुर पति स्व. श्री पुनारद लाल ठाकुर, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट सुलुद, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता



विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3408/2017

1. छन्नू लाल वर्मा पितास्व. निर्देश लाल वर्मा, आयु लगभग 74 वर्ष, निवासी- ग्राम मर्रा, पोस्ट मर्रा तहसील, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार अधिकारी, लेखा/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3410/2017

1. जगमोहन लाल वर्मा पिता स्व. निर्देश लाल वर्मा , आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी- ग्राम बेलोदी, पोस्ट मर्रा तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़



2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधान सभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन जिला, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3411/2017

1. छेदीलाल महिलांगे पिता सखाराम, आयु लगभग 70 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल भदरापारा कोरबा जिला कोरबा वर्तमान निवासी मोतिमपुर, डाकघर जराहागांव जिला बिलासपुर जिला मुंगेली छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
5. कोषाधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3415/2017

1. झुमुक दास बंजारा पिता स्व. अंजोर दास बंजारा आयु लगभग 70 वर्ष व्यवसाय सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला पदीमार जिला कोरबा, वर्तमान में निवासी ग्राम पातालकुंडी, पोस्ट कंतेली वाया मुंगेली बिलासपुर वर्तमान जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर कोरबा एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़



3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़ जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
5. कोषाधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3417/2017

1. उत्तम प्रसाद गुप्ता पिता स्व. जमुना साव, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी- आदर्श नगर, सीतापुर, विकासखण्ड सीतापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़,

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, थाना राखी, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
2. जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बतौली, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला : सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3432/2017

1. बलिराम वर्मा पिता स्व. श्री घासीराम वर्मा, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट बधेना, तहसील पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन मंत्रालय, नया रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग- रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3443/2017

1. श्रीमती चंद्रिका बंजारे पति स्व.श्री बिपतराम बंजारे, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी- ग्राम मुरुंडा, विकासखण्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3465/2017

1. सुधरु राम ठाकुर पिता स्व. श्री केहू राम ठाकुर आयु लगभग 74 वर्ष सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, निवासी- ग्राम धौराभाटा, पोस्ट फेकारी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़



2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3473/2017

1. सुरेन्द्र सिंह ठाकुर पिता स्व. जे.एस.ठाकुर, आयु लगभग 63 वर्ष सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, निवासी ग्राम दोहमा, पोस्ट मारो, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली, जिला- मुंगेली, छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3487/2017

1. लच्छू राम नेताम पिता स्व. जे.आर. नेताम, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, निवासी ग्राम-हैतरकसा, पोस्ट-हाटकरा, जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़, , छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया-रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, कांकेर, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर, छत्तीसगढ़ , जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
4. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा भानुप्रताप-पुर, जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़



5. महालेखाकार, विधान सभा भवन के पास, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़. , जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3493/2017

1. श्रीमती. उर्मिला टेकाम पति स्व.यशवंत टेकाम, आयु लगभग 66 वर्ष निवासी- ग्राम सराईपारा संबलपुर, थाना व तहसील भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरी बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ , जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी कांकेर, उत्तरी बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ , जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला संबलपुर, विकासखण्ड भानुप्रतापपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ , जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा रायपुर जीरो पॉइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3542/2017

1. श्रीमती किरण झा पति स्व.अवधेश कुमार झा, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी- उदय नगर, गोविंदपुर, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, वरिष्ठ लेखाकार अधिकारी विधानसभा भवन के पास , जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कांकेर, संभाग, उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3565/2010

1. जी.पी. शर्मा पिता अंबिका प्रसाद दुबे, वन विभाग के सेवानिवृत्त सेवक, उप रेंजर के पद से, वन प्रभाग भानुप्रतापपुर, निवासी सलिया पारा, भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर छग

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य कांकेर, जिला-कांकेर छग
2. वन संरक्षक कांकेर, जिला-कांकेर छग
3. वन मंडल अधिकारी भानुप्रतापपुर पूर्व, कांकेर, जिला-कांकेर छग
4. मुख्य प्रधान वन संरक्षक रायपुर, जिला-रायपुर छग

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3571/2017

1. एस. पी. साहू पिता स्व. अभिराम साहू, आयु लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त लेखा सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग कार्यालय, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव वित्त विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, रायपुर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, जीरो प्वाइंट बलौदाबाजार रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक कोषालय, लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, संभाग जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़



6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3609/2017

1. श्रीमती जनक बाई ठाकुर पति स्व. श्री माखन लाल ठाकुर, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी- ग्राम एवं पोस्ट जैसाकर्गा, तहसील एवं थाना-चरामा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, थाना एवं पोस्ट- राखी नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, कोष लेखा एवं पेंशन, बस्तर संभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, विकासखंड चारामा, जिला उत्तर बस्तर- कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3622/2017

1. श्रीमती शीला गेदाम पति स्व. श्री अजय कुमार गेदाम, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 52/सी, एच एस सी एल कॉलोनी, भिलाई, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़,

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़,
2. संचालक लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, निवासी अंबागढ़ चौकी, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3627/2017

1. श्रीमती रेखा ठाकुर पति श्री राजकुमार ठाकुर लगभग 63 वर्ष निवासी- उदय नगर, गोविंदपुर, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़



--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, वरिष्ठ लेखाकार अधिकारी विधानसभा भवन के पास, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3651/2017

1. राजकुमार ठाकुर पिता श्री बिजेन्द्र कुमार ठाकुर, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी उदय नगर, गोविंदपुर, कांकेर, जिला कांकेर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, विधानसभा के निकट वरिष्ठ लेखाकार अधिकारी भवन, जीरो पॉइंट, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
5. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3657/2017

1. मंगल राम कुंवर पिता स्व. सामनाथ कुंवर, आयु लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जगदलपुर के अधिकारी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट माड़पाल, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विकास मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, जिला जगदलपुर बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़ बस्तर, छत्तीसगढ़.
3. महालेखाकार, महालेखाकार अधिकारी, छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ , जिला : बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय। उच्चतर माध्यमिक शाला तारापुर, विकासखण्ड बकावंड, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़. , जिला : बस्तर(जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3677/2017

1. राम कुमार तिवारी पिता स्व. मोहन लाल तिवारी, आयु लगभग 69 वर्ष, सेवानिवृत्त, व्याख्याता, निवासी ग्राम- कोर्ला, पोस्ट- कोर्ला, तहसील कार्यालय के सामने, कोर्ला जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, विधान सभा भवन के पास, रायपुर, जिला- रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. कलेक्टर कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ , जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ , जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य शासकीय मानव संसाधन अनुभाग स्कूल कोर्ला, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़



6. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा- कोरार, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़. , जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3698/2017

1. श्रीमती राखीनबाई यादव पिता स्व. श्री जमादार यादव आयु लगभग 64 वर्ष निवासी- भगत सिंह चौक, विकासखण्ड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3723/2017

1. कृष्ण कन्हैया टांडिया पिता स्व. राम प्रसाद टांडिया, आयु लगभग 66 वर्ष, सेवानिवृत्त, व्याख्याता, निवासी ग्राम चिल्हाटी, पोस्ट कोरार, थाना कोरार, जिला कांकेर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, विधानसभा भवन के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. कलेक्टर, कांकेर, जिला कांकेर छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कांकेर, जिला कांकेर छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय भारती एचआर। सेक. शाला कांकेर, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़



---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3764/2017

1. केदार यादव पिता स्व. श्री बृजलाल यादव, आयु लगभग 71 वर्ष ,सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, मुरमुंदा डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़., जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3770/2012

1. ए.एम.कोराने पिता स्व. माधव कोराने , आयु लगभग 62 वर्ष, फ्लैट क्रमांक ए-1, पारिजात कॉलोनी, बिलासपुर छ.ग., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, लोक निर्माण विभाग, छग शासकीय डीकेएस भवन रियापुर छत्तीसगढ़
2. संयुक्त संचालक कोषागार एवं लेखा नूतन कॉलोनी सरकंडा के पास, बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी जिला ट्रेजरी, जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर, बिलासपुर छ.ग., जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3772/2017



1. श्रीमती करुणा राव पिता स्व. सत्यनारायण राव की पति, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी नागोराव शेष स्कूल के पीछे, जूना बिलासपुर, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव शिक्षा विभाग महानदी भवन, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाली, तहसील पाली, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3776/2017

1. पंचराम साहू पिता स्व. पुरुषोत्तम साहू आयु लगभग 67 वर्ष निवासी ग्राम खोरदो, पोस्ट खुंदनी, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़,

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखा एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट के पास बलौदाबाजार रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
6. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कंवर, विकासखण्ड गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3791/2017



1. श्रीमती कुंजम्मा सी.पी. पति स्व. चप्रकाश, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त एल. एच. वी., सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नानगुर, निवासी मदर टेरेसा वार्ड, तिरंगा चौक, नया मुंडा, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, महालेखाकार अधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जगदलपुर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
5. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानगुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3793/2017

1. अद्वैत कुमार अग्रवाल पिता स्व. श्री जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, आयु लगभग 68 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, शासकीय पंडित मदन मोहन मालवीय, प्राथमिक शाला, मालवीय नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, पुलिस थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, पुलिस थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3799/2017



1. घसियाराम साहू पिता श्री दयाराम साहू, आयु लगभग 75 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला, बेलारगोंडी चुरिया, जिलाराजनांदगांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन विभाग, रायपुर संभाग, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, रायपुर जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, विधानसभा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, छुरिया, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3813/2017

1. सलमा परवीन पति स्व. मोहम्मद इब्राहिम, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी पुराना गीदम नाका, गगानगर वार्ड, एमडी किराना स्टोर के पास, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, जगदलपुर, जिला बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़ बस्तर छत्तीसगढ़.,
3. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, जिला : बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3817/2017

1. नोखेलाल देशमुख पिता हरखराम देशमुख, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी शिव कॉलोनी बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बालोद, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट के पास बलौदा बाजार रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3872/2017

1. चन्द्रशेखर साहू पिता स्व. अर्जुन लाल साहू आयु लगभग 40 वर्ष निवासी- ग्राम एवं पोस्ट जे, सांकरा, तहसील एवं जिला बालोद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़ जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर, जीरो प्वाइंट, बलोदा बाजार रोड रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3881/2017

1. श्रीमती टेटकी बाई पति स्व. मायाराम साहू, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 2, पुरानी बस्ती 02, जगन्नाथपुर, बालोद, तहसील एवं जिला बालोद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़



4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट के पास बलौदाबाजार रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3890/2017

1. प्रताप सिंह पोर्ते पिता स्व.श्री नन्ही सिंह पोर्ते, आयु लगभग 70 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, निवासी ग्राम मधुवा, पोस्ट पिपरसत्ती, पुलिस थाना एवं तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

2. मुख्य लेखा अधिकारी, ए.जी.सी.जी. रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़., जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, तहसील एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़., जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़

4. खंड शिक्षा अधिकारी, पाली, तहसील पाली एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़., जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3957/2017

1. दादू राम डड़सेना पिता स्व.श्री कन्हैया लाल डड़सेना, आयु लगभग 77 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, निवासी ग्राम चिचोला, विकासखण्ड चुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी मंत्रालय, नया रायपुर, डाकघर एवं थाना नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. संयुक्त संचालक, कोषागार, लेखा एवं पेंशन, राजनांदगांव संभाग, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

3. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़,

4. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, चिचोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़



5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

विरुद्ध

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3969/2017

1. श्रीमती मालती मुखर्जी पिता श्री मोहन लाल मुखर्जी, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी अडाकाछेपड़ापारा वार्ड कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़,
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. खंड शिक्षा अधिकारी, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, जिला: कोंडागांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3980/2017

1. लक्ष्मी दोदाके पिता स्व.रमेश कुमार दोदाके, आयु लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत्त लेखाकार, अधीक्षक कार्यालय, महारानी अस्पताल, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, पुलिस थाना राखी, तहसील आरंग, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, स्व.बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, महारानी अस्पताल, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, लेखा कोष एवं पेंशन, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4015/2017

1. आधार सिंह टेकाम पिता स्व.श्री राम प्रसाद, आयु लगभग 79 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, निवासी ग्राम जेवरा, बेलपारा, थाना सीपत एवं तहसील मस्तूरी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर तहसील और जिला रायपुर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़
2. मुख्य लेखा अधिकारी, ए.जी.सी.जी. रायपुर, तहसील और जिला रायपुर छत्तीसगढ़., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, तहसील और जिला कोरबा, छत्तीसगढ़., जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाली, तहसील पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़., जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4016/2017

1. कुंवर सिंह नेताम पिता स्व. डी.आर. नेताम, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता, निवासी ग्राम चिल्हाटी, पोस्ट- कोरार, जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, विधान सभा भवन के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य शासकीय भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांकेर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4047/2017

1. श्रीमती कुमारी बाई वर्मा पति स्व. राघव प्रसाद वर्मा, आयु लगभग 63 वर्ष सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक विज्ञान नयागंज वार्ड, मंडी रोड, भाटापारा जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव लोक शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़ भाटापारा



4. महालेखाकार कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

5. प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला सिंगारपुर, जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4103/2017

1. ओम प्रकाश दुबे पिता स्व. एस.पी. दुबे, आयु लगभग 73 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक, निवासी पत्रकार भवन के सामने, पतनाली, दुकान, नगर पारा, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग विकास मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

2. महालेखाकार, लेखा एवं देय, पेंशन बाड़ा, रोड रायपुर, छत्तीसगढ़. , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. कलेक्टर, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर, छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

4. कलेक्टर बस्तर, जिला बस्तर वित्त शाखा जगदलपुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

5. जिला शिक्षा अधिकारी, बस्तर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ , जिला : बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बस्तर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

7. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4109/2017

1. श्रीमती बिमला बाई पति स्व. भुवन सिंह ठाकुर, आयु लगभग 69 वर्ष निवासी- वार्ड क्रमांक 4, भुरकाभाट, पोस्ट सुरेगांव, तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड डौंडीलोहारा, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट के पास बलौदा बाजार रोड, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4124/2017

1. दिनेश कुमार विश्वकर्मा पिता स्व.श्री टी.डी.विश्वकर्मा, आयु लगभग 37 वर्ष, सहायक ग्रेड-II, जिला न्यायालय, बैकुंठपुर कोरिया में पदस्थ रहे, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, विधि एवं विधायी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ ए एवं ई जीरो प्वाइंट बलौदा बाजार रोड, डाकघर मंदार, रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा अंबिकापुर जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
5. बजट अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय, सरगुजा अंबिकापुर जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया बैकुंठपुर जिला कोरिया, छत्तीसगढ़, जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4157/2017

1. सी.एस. सोनी पिता स्व.श्री साई सोनी, आयु लगभग 67 वर्ष, सेवानिवृत्त एम.थाना निवासी ग्राम फस्तुरी सुदीपारा, डाकघर नगरनार, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संभाग जगदलपुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानगुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4190/2017



1. दुर्गाचरण दास पिता स्व.श्री लक्ष्मीनाथ दास आयु लगभग 65 वर्ष सेवानिवृत्त एम.पी. डब्ल्यू एम, निवासी ग्राम नगरनार पंकापारा, पोस्ट ऑफिस नगरनार, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संभाग जगदलपुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
3. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानगुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4215/2017

1. गुलावती देवी पति स्व.श्री इंद्रजीत सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका, निवासी ग्राम - चैतमा, थाना- पाली, तहसील - पाली, सिविल व राजस्व जिला - कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पाली, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4241/2017

1. शम्भू राम गगभिये पिता स्व. श्री बाबूराव गगभिये, आयु लगभग 72 वर्ष, सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला, रानीतराई, विकासखण्ड डोंडी लोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़ निवासी पीएसटी और ग्राम फरादफोड, तह. डोंडी लोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, थाना राखी, नया रायपुर, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़



2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालिखकर भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डोंडी-लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4245/2017

1. अधीन राम साहू पिता स्व. एम.आर. साहू, आयु लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त, उच्च श्रेणी शिक्षक, निवासी ग्राम- गोविंदपुर, जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया, रायपुर, छत्तीसगढ़,

2. महालेखाकार, विधानसभा भवन के पास, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. कलेक्टर, कांकेर जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कांकेर, जिला- कांकेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4258/2017

1. गोपाल राम पिता श्री फदीराम, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त एम.थाना, निवासी-ग्राम फोप्पागुड़ा, पोस्ट ओ. मार्केल, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संभाग जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

3. विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नानगुर, जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4270/2017

1. एम. आर. नागेश पिता स्व. श्री लखमू राम नागेश, आयु लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत्त एम.पी.एस, निवासी ग्राम बड़े पुसपाल, तहसील जगदलपुर, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, संभाग जगदलपुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़ जिला बस्तर
3. विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नानगुर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), जिला छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4371/2017

1. बुधराम पिता श्री मान साई, आयु लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त एम.थाना, निवासी ग्राम खम्हारगांव खासपारा, पो.ओ.बाबू सेमरा, जिला- बस्तर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संभाग जगदलपुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
3. विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नानगुर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4376/2017

1. टोडर दास सरवा पिता स्व. श्री टीकम्बर दास, आयु लगभग 72 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, फराडफोड, निवासी कापसी, डाकघर अछोली, तहसील डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, थानाराखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डोंडी लोहारा जिला बालोद दुर्ग, छत्तीसगढ़ जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4379/2017

1. नरेश कुमार सोनी पिता स्व. श्री रोहन लाल सोनी, आयु लगभग 72 वर्ष सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला, संजारी, विकासखण्ड डोंडी लोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, महालेखाकार भवन, पुलिस थाना राखी, न्यू रियापुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डोंडी-लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4432/2017

1. लक्ष्मी डोडाके पति स्व. रमेश कुमार डोडाके, आयु लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत्त लेखाकार, अधीक्षक कार्यालय, महारानी अस्पताल, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़



4. अधीक्षक, महारानी अस्पताल, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4454/2017

1. आजुदास खांडे स्व. श्री रामभरोस खांडे, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम टेठधौरा, तहसील मुंगेली, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मुंगेली, जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, जिला: मुंगेली, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4472/2017

1. श्याम लाल साहू पिता स्व. लेद्धा राम, आयु लगभग 75 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला टिकुलिया, निवासी ग्राम तारेंगा, विकासखण्ड भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4482/2017

1. श्रीमती सावित्री बाई पति स्व. कृष्ण कुमार वर्मा, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम बांसकरा, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़.

---याचिकाकर्ता



विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड सिमगा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला रायपुर रायपुर, छत्तीसगढ़., जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4532/2017

1. श्रीमती शांति पिता पति स्व. श्री नैहर साय, आयु लगभग 45 वर्ष निवासी गांव लंगड़ासंड, पोस्ट खड़दोरना, तहसील एवं थाना सीतापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, गृह/पुलिस विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, थाना एवं पोस्ट राखी, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिदेशक महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय महानदी मंत्रालय, पुलिस थाना एवं चौकी राखी, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. पुलिस महानिरीक्षक, आई.जी.पी., पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
4. संभागीय संयुक्त संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, कोष लेखा एवं पेंशन, अंबिकापुर संभाग, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
5. पुलिस अधीक्षक एस.पी., कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जशपुर, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ , जिला: जशपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4536/2017

1. डा. राममोहन त्रिवेदी पिता स्व.हरिशंकर त्रिवेदी, आयु लगभग 70 वर्ष, निवासी- गांधी मंदिर वार्ड, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला:बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय शिवलाल मेहता, उच्चतर माध्यमिक शाला, भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4593/2017

1. पलटन राम साहू पिता छेराकू राम साहू, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी- ग्राम भिलाई, पोस्ट गबडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला:दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4596/2017

1. कल्याण सिंह देवांगन पिता स्व. श्री ताताकुरा देवांगन, आयु लगभग 68 वर्ष निवासी माहुल ए पोस्ट भरदाकला, जिला बालोद छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4597/2017



1. श्रीमती सरस्वती बाई पति स्व. श्री जयनारायण चंद्राकर आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी भनसुली, पोस्ट जामगांव, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बड़ेराजपुर, कोंडागांव छत्तीसगढ़, , जिला: कोंडागांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4610/2017

1. जी.एस. महलवार पिता स्व. श्री जीवराखन लाल आयु लगभग 73 वर्ष, महलवार, सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, निवासी गिरधारी नगर, वार्ड क्रमांक 19, विवेकानन्द वार्ड, दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, थाना राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4616/2017

1. श्रीमती निरुपा गौतम पति स्व. श्री सोहन सिंह गौतम, आयु लगभग 68 वर्ष, निवासी- चन्द्रशेखर हाई स्कूल के पास, पंचशील नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़,

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4617/2017

1. रोशनलाल दिल्लीवार पिता स्व. श्री मन्नूलाल दिल्लीवार, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी- ग्राम मुंडेरा, पोस्ट कलंगपुर, जिला बालोद छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. छत्तीसगढ़ के महालेखाकार, जीरो पॉइंट रायपुर, जिला रायपुरछत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड गुंडरदेही, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4618/2017

1. श्रीमती गंगोत्री बाई पति स्व. श्री के.एस.बैस, आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी- ग्राम जगमहंत, डाकघर धुरकोट, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर- चांपा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्वास्थ्य विभाग महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन 492001, छत्तीसगढ़
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कबीरधाम, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
3. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़, जिला: कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा, कोष एवं पेंशन, रायपुर, संभाग रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन.40, महालेखाकार कार्यालय, लेखा/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4623/2017

1. महेंद्र सिंह पँवार पिता स्व.जयराम सिंह पँवार, आयु लगभग 73 वर्ष, निवासी- ग्राम दुदिया, पोस्ट अर्जुन्दा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य, शासकीय। उच्चतर माध्यमिक शाला भरदाकला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़., जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4658/2017

1. रामहौराम गंधर्व पिता स्व. श्री जेटू राम गंधर्व, आयु लगभग 67 वर्ष निवासी ग्राम शिकारीटोला, पोस्ट सुरेगांव, जिला बालोद, छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य, शासकीय। उच्चतर माध्यमिक शाला भरदाकला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़., जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4667/2017

1. हेमलाल साहू पिता स्व. श्री गंगाराम साहू, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी बुचीभरदा, पोस्ट सुरागी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भरदाकला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4722/2017

1. बसंत कुमार दीवान पिता स्व. श्री निजाम सिंह दीवान, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 14/ए, स्ट्रीट नंबर 33, सेक्टर 7, भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4739/2016

1. श्रीमती रचना सारस्वत पिता स्व. अजय कुमार सारस्वत, आयु लगभग 40 वर्ष, सहायक ग्रेड- III, मत्स्य निदेशालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव मत्स्य विभाग महानदी भवन नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, पेंशन रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. निदेशक, मत्स्य निदेशालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
4. सहायक निदेशक, मत्स्य, कबीरधाम, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़, जिला : कवर्धा (कबीरधाम), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4779/2017

1. कुसुम शर्मा पति श्री राम जी शर्मा, आयु लगभग 68 वर्ष, सेवानिवृत्त, प्रसूति नर्स, ग्राम कोटागांव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विकासखण्ड डोंडी, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, लोक स्वास्थ्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़



2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, थाना राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4790/2017

1. राधेश्याम मिश्र पिता स्व.श्री गंगा प्रसाद मिश्र, आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी गांव एवं पोस्ट कपिस्टा, थाना बम्हनीडीह, सिविल व राजस्व जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जांजगीर, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, बिरा, विकासखण्ड बम्हनीडीह, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4840/2017

1. मोखर साईं भर पिता स्व. श्री बरातूराम भर, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी-अयोध्या नगर, गुड शेफर स्कूल के पास, वार्ड क्रमांक 4, महासमुंद, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल विभाग, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झलाप महासमुंद, छत्तीसगढ़, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4852/2017

1. दरशू प्रसाद मनहर पिता स्व. ननकीराम मनहर, आयु लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता, निवासी कुटराबोड़, पोस्ट ऑफिस भद्रा, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर- चांपा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक लोक शिक्षण, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़, जिला:कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सारा, विकासखण्ड कार्यालय बैकुंठपुर, जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, कार्यालय, विधान सभा रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
6. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़, जिला: कोरिया (बैकुंठपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4882/2017

1. विद्या सागर ध्रुव पिता स्व. श्री मथुरा प्रसाद ध्रुव, आयु लगभग 67 वर्ष, सेवानिवृत्त प्राचार्य, निवासी अलबेलापारा, कांकेर पोस्ट ऑफिस कांकेर जिला कांकेर छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ , जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दक्षिण बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, जिला :कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4887/2017

1. दुकालू राम ठाकुर पिता स्व. श्री अलालू राम ठाकुर, आयु लगभग 76 वर्ष, निवासी- ग्राम एवं पोस्ट खम्हरिया, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़



4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर संभाग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4895/2017

1. शिव प्रसाद वर्मा पिता स्व. श्री बोधी प्रसाद वर्मा, आयु लगभग 77 वर्ष, निवासी ग्राम- कुर्मी गुडरा, पोस्ट- दरबार मोखली, तहसील- पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4896/2017

1. थान सिंह वर्मा पिता स्व. श्री झुगरु राम वर्मा, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी- ग्राम पांडर, पोस्ट गुजरा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

2. संचालक लोक शिक्षा, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, संभाग, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4897/2017

1. मेहतारु राम साहू पिता स्व. श्री चुनुराम साहू, आयु लगभग 75 वर्ष, निवासी बोरी, पोस्ट कसहीकला, तहसील डौंडीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़



--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़, जीरो प्वाइंट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खंड डोंडीलोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5030/2017

1. श्रीमती। उषा बाई आर्य पति स्व. श्री रामचन्द्र आर्य, आयु लगभग 62 वर्ष निवासी ग्राम चिरचारी, पोस्ट सोरार, तहसील गुरुर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरुर, विकासखण्ड बालोद, जिला: बालोद, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, लेखाकार एवं दावा छत्तीसगढ़ रायपुर जीरो प्वाइंट के पास बलौदा बाजार रोड, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5092/2017

1. गोप कुमार शर्मा पिता स्व. लाला राम जोशी, आयु लगभग 76 वर्ष निवासी राजीव लोचन चौक, राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, वित्त विभाग ,मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ राज्य, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक, संचालनालय कार्यालय, कोषालय, लेखा एवं पेंशन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय ठा. दा. उच्चतर माध्यमिक शाला, फिंगेश्वर, गरियाबंद, जिला: गरियाबंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5104/2017

1. उत्तम राम साहू पिताश्री हीरा लाल साहू, आयु लगभग 72 वर्ष, सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, गैंदाटोला, विकासखण्ड छुरिया, तहसील व जिला- राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य - सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, पुलिस थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, पुलिस स्टेशन राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, ट्रेजरी, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पुलिस थाना सिटी कोतवाली, दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संचालक, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग, इंद्रावती भवन, पुलिस थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, गैंदाटोला, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़., जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5189/2017

1. सुखदेवराम कोरम पिता श्री ज्ञान सिंह, आयु लगभग 69 वर्ष, प्राचार्य, निवासी परसतराई अर्जुन्दा गुंडरदेही जिला बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला अंडा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5242/2017

1. भानुप्रताप चन्द्राकर पिता श्री भूषण लाल चन्द्राकर, आयु लगभग 72 वर्ष सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, शासकीय जे. आर. डी. बहु. उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़



--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. राज्य शासन, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, थाना राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, जे.आर.डी. शासकीय बहु. उच्चतर माध्यमिक शाला, दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5257/2017

1. जनार्दन प्रसाद चंद्राकर पिता छोटनलाल चंद्राकर, आयु लगभग 63 वर्ष सेवानिवृत्त लेखाकार, निवासी डी.एम.एस. के पीछे स्कूल, क्लब पारा, महासमुंद, थाना व जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर, संभाग रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद, छत्तीसगढ़
4. प्राचार्य, शासकीय उच्च माध्यमिक शाला महासमुंद, छत्तीसगढ़, जिला: महासमुंद, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5289/2017

1. चिंतामणि दास वैष्णव पिता स्व. गुरुदास वैष्णव, आयु लगभग 69 वर्ष निवासी ग्राम मालखरौदा, थाना व तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन 492001, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़



3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा,
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा, कोष एवं पेंशन, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5295/2017

1. बुधराम यादव पिता स्व. तिजराम यादव आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम मालखरौदा, पुलिस स्टेशन और तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर छत्तीसगढ़ पिन - 492001, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा कोष एवं पेंशन, बिलासपुर संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ नया रायपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पीएफ एन 40, महालेखाकार कार्यालय, लेखा/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5304/2017



1. बुधियार सिंह साहू पिता रूप सिंह साहू, आयु लगभग 73 वर्ष, प्रधान अध्यापक निवासी ग्राम चिंगरी पोस्ट अंडा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पॉइंट रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5331/2016

1. पी. एस. श्रीवास्तव पिता स्व. नोहर लाल श्रीवास्तव, आयु लगभग 62 वर्ष सेवानिवृत्त सहायक संचालक कृषि, राजनांदगांव, निवासी दिव्यम हाउस नियर रेलवे क्रॉसिंग बौलड, जिला बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. उप सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक कृषि, कृषि संचालनालय, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. उप संचालक कृषि, राजनांदगांव, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5348/2017

1. चंदन सिंह सिदार पिता स्व. कुशवा राम सिदार, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी ग्राम नगझर, थाना व तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़.

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर छत्तीसगढ़ पिन - 492001., छत्तीसगढ़



2. जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मालखरौदा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा, कोष एवं पेंशन, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, लेखा/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5391/2017

1. कृपाराम सोनकर पिता स्व. श्री जगत राम सोनकर, आयु लगभग 71 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला तमेर पारा धमधा, विकासखण्ड एवं तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, थाना राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, थाना राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धमधा विकासखण्ड एवं तहसील धमधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5618/2017

1. चेतन दास भारद्वाज पिता स्व. श्री सामल दास भारद्वाज, आयु लगभग 61 वर्ष, शिक्षक के रूप में कार्यरत, निवासी- मकान क्रमांक ए/3 गलेक्षी रेजीडेंसी अमलीडीह थाना न्यू राजेंद्र नगर रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा, और पेंशन, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धरसीवा, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, जे.आर. नायडू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रविग्राम रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5674/2017

1. दसरू राम निर्मल पिता स्व. श्री लोकनाथ निर्मल, आयु लगभग 76 वर्ष, निवासी ग्राम अचानकपुर, पोस्ट तारी, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला : दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5675/2017

1. श्रीमती कमला बाई पति स्वर्गीय श्री घासीदास कोसरे, आयु लगभग 67 वर्ष निवासी- ग्राम गाड़ाडीह, पोस्ट लिटिया, तहसील धमधा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लोहांडीगुड़ा, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, जगदलपुर संभाग, जगदलपुर, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5678/2017



1. श्रीमती कुमारी वर्मा पिता स्व. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, आयु लगभग 68 वर्ष निवासी ग्राम कुर्मी गुडरा, पोस्ट दरबार मोखिल, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5683/2017

1. श्रीमती सुखिया बाई पति स्व. श्री फगुआ राम कोसरिया, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम चांगोरी, पोस्ट बठेना, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, विधानसभा रोड, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5684/2017

1. खेदू राम आदिल पिता स्व. श्री नारायण आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी - ग्राम करगा पोस्ट जामगांव, तहसील-पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध



1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन, दुर्ग, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर संभाग रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, विधानसभा रोड, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5773/2017

1. श्याम कांत जोशी पिता स्व. पदुम नाथ जोशी, आयु लगभग 66 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, निवासी ग्राम मालगांव, तहसील बकावंड, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला कोषालय अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बकावंड, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5849/2017

1. बी.आर. कनौजे बिसाहू राम कनौजे पिता श्री कपिल नाथ कनौजे, आयु लगभग 74 वर्ष, सेवानिवृत्त लेखापाल, आदिवासी विकास सहायक आयुक्त विभाग रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ अब जिला बलौदा बाजार - भाटापारा में नियुक्त वर्तमान पता ग्राम लटुवा, तहसील बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. सहायक आयुक्त , आदिवासी विकास, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़



2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, वित्त विभाग सचिवालय रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. कलेक्टर, आदिवासी विकास रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
4. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. कलेक्टर, बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
6. संचालक, कोषलेखा एवं पेंशन रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
7. संयुक्त संचालक कोषलेखा एवं पेंशन रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
8. महालेखाकार रायपुर, छत्तीसगढ़ कार्यालय जिला रायपुर छत्तीसगढ़ जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5940/2017

1. अशोक कुमार ठाकुर पिता श्री तखत सिंह ठाकुर, आयु लगभग 63 वर्ष, निवासी एम आई जी - 4, दीनदयाल कॉलोनी, चिखली राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव स्वास्थ्य सेवा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर थाना विधानसभा रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ राज्य, पंडरी रायपुर जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. कलेक्टर, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर छत्तीसगढ़, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, जिला : राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
6. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घुमका राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6071/2017

1. राम दयाल ठाकुर

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य

---उत्तरवादीगण



रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6094/2017

1. श्रीमती अनुराधा सोनकर पति श्री कृष्णपाल सोनकर, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 4, सांस्कृतिक भवन के पास, टिकरीपारा रोड, सुभाष नगर, तखतपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तखतपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6096/2017

1. नरेंद्र सिंह ठाकुर पिता स्व. श्री निहाल सिंह ठाकुर, आयु लगभग 74 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, निहाल कुंज एकता नगर, ठेलकाबोड़, ग्राम ठेलकाबोड़, मुख्य सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग-30, डाकघर गोविंदपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ राज्य, जीरो पॉइंट, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कांकेर, जिला:कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6132/2017



1. श्रीमती ममता बरेठ पति स्व. श्री जगदीश प्रसाद बरेठ आयु लगभग 38 वर्ष निवासी ग्राम मालखरौदा, पुलिस थाना एवं तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य , द्वारा-सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय, रायपुर छत्तीसगढ़ पी आई एन 492001, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. कार्यालय प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालखरौदा, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा, कोष एवं पेंशन, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, कोष, लेखा एवं पेंशन, जिला नया रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, खाता/पेंशन/निधि, जीरो पॉइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़. , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6193/2017

1. कुन्दन लाल खाण्डे पिता स्व. मुंकूराम खाण्डे, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी वार्ड नं.18, थाना पारा सक्ती, पुलिस थाना एवं तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन 492001, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जांजगीर-चांपा, जिला छत्तीसगढ़, जिला : जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ जांजगीर-चांपा,
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा, कोषालय एवं पेंशन, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिला : बिलासपुर, छत्तीसगढ़



6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन.40, महालेखाकार कार्यालय, लेखा/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6291/2016

1. आर.एस. ठाकुर पिता स्व. श्री एस.एस. ठाकुर, आयु लगभग 66 वर्ष, व्यवसाय सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक/सूबेदार एम, निवासी चांटापारा, थाना सिविल लाइन, राजस्व जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, गृह, वित्त व पुलिस मंत्रालय, महानदी भवन, नया मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. पुलिस अधीक्षक, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

4. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा और पेंशन, बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6306/2017

1. तोरण सिंह शौरी पिता स्व. श्री रामजी शौरी आयु लगभग 82 वर्ष, निवासी ग्राम मिचगांव, पोस्ट कुम्हारी, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़., छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

2. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मानपुर, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जिला: राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

4. महालेखाकार जीरो प्वाइंट, विधानसभा रोड, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



5. संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6320/2017

1. नवाजुद्दीन शेख पिता स्व. इमामुद्दीन शेख , आयु लगभग 62 वर्ष, निवासी- आगराज सेल्स के सामने मुख्य सड़क जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग इन्द्रावती भवन नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़. , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़ , जिला : बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
5. परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी विकास जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़. , जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6322/2017

1. रमन लाल वर्मा पिता स्व. श्री रिखी राम वर्मा आयु लगभग 72 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट खम्हरिया, तहसील-पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन मंत्रालय नया रायपुर जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पाटन दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ , जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, जीरो पॉइंट विधानसभा रोड, रायपुर जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
5. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर संभाग रायपुर जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6324/2017



1. राम शासन राठौड़ पिता श्री बहोरन लाल राठौड़, आयु लगभग 65 वर्ष, सेवानिवृत्त व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर, निवास- ग्राम बी डी महंत गार्डन रिंग रोड के सामने जांजगीर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला : जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला जांजगीर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6360/2017

1. कृष्णपाल सोनकर पिता स्व. श्री दर्शन राम सोनकर आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4 सांस्कृतिक भवन के पास टिकरीपारा रोड, सुभाष नगर तखतपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ , छत्तीसगढ़
2. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़. , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़. , जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ , जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तखतपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़. , जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6408/2017



1. कुलेश्वर प्रसाद शर्मा पिता रामाधार प्रसाद शर्मा, आयु लगभग 62 वर्ष निवासी स्टेट बैंक के सामने, बूढ़ा तालाब रोड, मगरपारा वार्ड नं. 19, मकान नंबर 105, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय, जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय नया रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, तहसील कार्यालय परिसर, बालोद, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
5. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलोदा, विकासखंड डोंडी, जिला बालोद छत्तीसगढ़, जिला : बालोद, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं दावे, छत्तीसगढ़ जीरो प्वाइंट के पास, बलौदा बाजार रोड, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6484/2017

1. नंदूराम धनकर पिता स्व. श्री दाऊराम धनकर आयु लगभग 64 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, रामपुर, विकासखण्ड चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, निवासी ग्राम बरगारी नयापारा, डाकघर चारभाटा, वाया चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़
2. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी, जीरो प्वाइंट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, जिला :कांकेर, छत्तीसगढ़
4. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़, जिला : कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6613/2017



1. नंदकिशोर महापात्रे पिता स्व. उपेन्द्र महापात्रे, आयु लगभग 63 वर्ष, सेवानिवृत्त सेवक, निवासी चकरधर नगर, कसेरपारा, हनुमान के पास मंदिर, रायगढ़, तहसील व जिला. रायगढ़, सिविल एवं राजस्व जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, वित्त विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. आयुक्त, संचालनालय, कोष एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
4. कलेक्टर, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
5. जिला कोषालय अधिकारी, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6681/2011

1. उमैंदराम साहू

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य जिला बिलासपुर छ.ग.
2. विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा जिला बिलासपुर छ.ग.
3. जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर जिला बिलासपुर छ.ग.
4. संयुक्त संचालक कोषागार लेखा एवं पेंडिंग बिलासपुर जिला: बिलासपुर छ.ग.

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6857/2017

1. उमा देवी बंजारा पिता श्री जे.एल. बंजारा की पति आयु लगभग 57 वर्ष, वर्तमान में शासकीय प्राथमिक विद्यालय नरईबोध विकासखण्ड कटघोरा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़



2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोरबा छत्तीसगढ़., जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़
3. जिला कलेक्टर, जिला कोरबा छत्तीसगढ़., जिला : कोरबा, छत्तीसगढ़
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कटघोरा, जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6958/2017

1. हरीश कुमार जॉन पिता स्व. श्री जॉन जखरियाग, आयु लगभग 68 वर्ष, न्यू मुंडापारा वार्ड क्रमांक 42, मदार टेरेसा वार्ड, जिला जगदलपुर, बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, जीरो पॉइंट, विधानसभा रोड, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ , जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
5. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6959/2017

1. श्रीमती. अन्नम्मा कुरियाकोस पति स्व. श्री वी.एस. कुरियाकोस, आयु लगभग 69 वर्ष, निवासी राजीव गांधी नगर वार्ड, शिव मंदिर के पास, फ्रीजरपुर, जगदलपुर, जिला जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग , महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
2. संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, मंत्रालय, नया रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला जगदलपुर छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
4. महालेखाकार, जीरो पॉइंट, विधानसभा रोड, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



5. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर संभाग, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला :
रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6988/2011

1. नंद लाल जायप्रश्न पिता स्व. शिवरतन जायप्रश्न सेवानिवृत्त सेवक फॉर्म सहायक ग्रेड III स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में निवासी ग्राम अखोरा कला पोस्ट कल्याणपुर जिला सरगुजा छ.ग.

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर छ.ग.
2. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.
3. जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.
4. संयुक्त संचालक कोषागार लेखा एवं पेंशन अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.
5. संचालक लोक शिक्षण छ.ग. रायपुर छ.ग.

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7208/2017

1. श्रीमती. रीता यदु पिता स्व. वाई. के. यदु, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी यशवंत निवास, 132 के.वी. एकता नगर के सामने, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीयकृत पेंशन प्रसंस्करण प्रकोष्ठ, कार्यरत महिला छात्रावास गोविंदपुरा के पीछे, भोपाल, मध्य प्रदेश, जिला: भोपाल, मध्य प्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला: कांकेर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 7267/2017

1. तिलती राम सिदार पिता रतिराम सिदार आयु लगभग 76 वर्ष निवासी ग्राम मालखरौदा, तहसील मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता



विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
2. जिला शिक्षा अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
3. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जिला: जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लेखा, कोष एवं पेंशन, बिलासपुर संभाग, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
6. महालेखाकार, लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ नया रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पी.एफ.एन. 40, महालेखाकार कार्यालय, लेखा/पेंशन/निधि, जीरो प्वाइंट के पास, विधानसभा के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री के.एस.पवार, श्री सोमनाथ वर्मा, श्री पी.पी.साहू, श्री राकेश पाण्डेय, श्री मनोज परांजपे, श्री प्रकाश तिवारी, श्री के.आर.नायर, श्री सी.जे.के. राव, श्री जे.आर.वर्मा, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री सुभाष यादव, श्री अनुप मजूमदार, श्री पी.के.तुलस्यान, श्री पी.पी.साहू, श्री बी.पी.सिंह, श्री गौतम खेत्रपाल, श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, श्री वी.के.पाण्डेय, श्री राजेश कुमार शर्मा, श्री सुशील दुबे, श्री आर.के.केशरवानी, श्री प्रतीक शर्मा, श्री धीरज वानखेड़े, श्री सुदीप अग्रवाल, श्री अवध त्रिपाठी, श्री विनोद टेकाम, श्री धर्मेंश श्रीवास्तव, श्री कमलेश कुमार पाण्डेय, श्री आर.आर.सिन्हा, श्री यू.आर.कोशले, श्री अश्वनी शुक्ला, श्री डी.एन.प्रजापति, श्री मनोज कुमार जयप्रश्न, श्री राघवेंद्र प्रधान, श्री सौरभ शर्मा, श्री अतानु घोष, श्री एस.माजिद अली, श्री हरीश खुंटिया, श्री अजीत सिंह, श्री अशोक सोनी, श्री पवन श्रीवास्तव, श्री अशोक पाटिल, श्री आदित्य भारद्वाज, श्री सोमकांत वर्मा, श्री सुरेश कुमार वर्मा, श्री शशांक ठाकुर, श्री अनिल मौर्य, श्री अभिषेक पाण्डेय, सुश्री स्मिता झा, श्री एस.के.कुशवाहा और श्री दीपक कुमार सिंह, अधिवक्तागण।

राज्य की ओर से : श्री ए.एस.कछवाहा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सह श्री मनीष निगम, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी/महालेखाकार की ओर से : श्री रमाकांत पाण्डेय, श्री राजकुमार गुप्ता, सुश्री पूर्णिमा सिंह, अधिवक्तागण

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

सी ए वी आदेश

18/05/2018



याचिकाओं के इस समूह में, वसूली के आदेशों/नोटिसों को चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्तागण ने अपने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते से अग्रिम या आंशिक अंतिम/अंतिम आहरण के रूप में अधिक राशि निकाली थी या उन्हें उनकी सेवा के दौरान उनकी पात्रता से अधिक उपलब्धियां दी गई थीं। कुछ प्रकरणों में, याचिकाकर्तागण ने पहले इस न्यायालय से वेतन/वेतन वृद्धि के संदाय के लिए उनके दावों पर विचार करने के लिए निर्देश मांगा था, जिन्हें दावों की जांच के निर्देश के साथ निपटाया गया था और उसके बाद उन्हें उच्च वेतन का हकदार माना गया और संदाय किया गया परंतु पुनः आदेश/नोटिस जारी किया गया। कुछ प्रकरणों में, वसूली पहले ही की जा चुकी है। इन सभी याचिकाओं में, वसूली के आदेश/नोटिस को कई आधारों पर चुनौती दी गई है, जिनमें वे राशियां भी शामिल हैं जो सभी प्रकरणों के लिए सामान्य हैं। इस न्यायालय का विचार उन सामान्य आधारों तक ही सीमित है, जिन्हें इन सभी याचिकाओं में उठाया गया है।

2. उपरोक्त याचिकाओं में पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया कि एक बार सेवक सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत, वसूली अनुमेय नहीं है और सेवानिवृत्त सेवक को जो भी राशि दी गई है, उसे पंजाब राज्य विरुद्ध रफीक मसीह¹ के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक निर्णय के दृष्टिगत वसूल नहीं किया जा सकता आगे यह तर्क किया कि भले ही यह माना जाता है कि कुछ सीमित परिस्थितियों में, वसूली की शक्ति उपलब्ध है, परंतु सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, जवाब प्राप्त किए बिना, संक्षिप्त जांच किए बिना और फिर निर्णय लिए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर यह तर्क दिया गया है कि भविष्य निधि खाते से कथित अतिरिक्त संदाय / अधिक आहरण की वसूली केवल मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ भविष्य निधि नियम (वर्ष 1955 में प्रख्यापित) और मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1966 (संक्षेप में 'पेंशन नियम') में निहित प्रावधानों के अनुसार ही अनुमेय होगी। यह भी तर्क किया गया है कि इन नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिकतम 12 माह की समायावधि के पश्चात कोई वसूली नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त तर्क यह है कि यदि जांच में यह पाया भी जाता है कि किसी सेवक ने सेवा के दौरान भविष्य निधि खाते से अग्रिम या आंशिक अंतिम आहरण की है, तो उसे पेंशन नियमों के नियम 9 के अनुसार मासिक पेंशन से वसूला नहीं जा सकता। यदि नियम 9 के अधीन निर्धारित अधिकतम समय अवधि समाप्त हो गई है, तो किसी भी परिस्थिति में पेंशन से वसूली नहीं की जा सकती, जिसमें उपादान भी शामिल है। यदि कोई वचनपत्र, उच्च वेतन प्राप्त करते समय या भविष्य निधि से अग्रिम या आंशिक आहरण लेते समय या सेवानिवृत्ति के समय दी जाती है, तो वह उत्तरवादीगण को किसी भी समय वसूली करने का अधिकार नहीं देगी और ऐसे प्रकरणों में, जहां उचित अवधि के भीतर कोई वसूली नहीं की जाती है, रफीक मसीह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय

1 2015 (4) SCC 334



उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, कोई वसूली स्वीकार्य नहीं होगी क्योंकि इससे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को अत्यधिक कठिनाई होगी, जिसे अपने जीवन यापन के लिए एक मामूली राशि पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए निवेदन के समर्थन में, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण ने दिनांक 06/03/2017 को निर्णीत रिट अपील क्रमांक 357/2016 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ के निर्णय रिट याचिका सेवा क्रमांक 3705/2017 में इस न्यायालय के निर्णय तथा दिनांक 21/11/2017 को निर्णीत याचिकाओं के समूह (विनोद सिन्हा व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य)का अवलंब लिया गया है।

3. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण तथा महालेखाकार, छत्तीसगढ़ ने यह तर्क करते हुए उत्तर दिया है कि रफीक मसीह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्णय वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होगा, क्योंकि वे प्रकरण विधि के अधीनपात्रता से अधिक वेतन के अधिक संदाय से संबंधित थे। जहां तक भविष्य निधि से की गई अतिरिक्त आहरण के कारण वसूली का संबंध है, उपरोक्त निर्णय का अनुपात लागू नहीं होता, क्योंकि ये आहरण न केवल नियमों के अधीनअनधिकृत थी, बल्कि सेवकों को भी पूर्णतः पता थी, क्योंकि उनके पास जीपीएफ पासबुक है और उन्हें पूर्णतः ज्ञात था कि उनके संबंधित भविष्य निधि खातों में कितनी राशि जमा है। उनके कोष में कुल राशि से बहुत अधिक राशि की आहरण, दर्शाती है कि सेवक ने आहरण की मांग करके त्रुटिपूर्ण बयान दिया जैसे कि उनके भविष्य निधि खातों में पर्याप्त राशि जमा है। संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लापरवाही के कारण, उनकी सेवानिवृत्ति तक आहरण का मिलान नहीं किया गया और बाद में ही इन सभी भविष्य निधि खातों का सत्यापन किया गया। जीपीएफ पासबुक में जमा के साथ आहरण की प्रविष्टियों के समायोजन की उचित जांच के बाद, यह ज्ञात हुआ कि कई प्रकरणों में, बड़ी राशि जो कि एक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली भविष्य निधि की कुल राशि से बहुत अधिक थी, सेवक द्वारा आहरित कर ली गई थी। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि सभी याचिकाकर्तागण बिना उचित जवाब दिए और प्राधिकारी को संतुष्ट किए बिना न्यायालय में आ गए कि उक्त वसूली तथ्यात्मक रूप से अनुचित थी और उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि से अधिक राशि आहरित नहीं की थी।

4. मैंने सभी पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का परिशीलन किया है। केवल उन तर्कों पर विचार किया गया है जो प्रकरणों के आदेश हेतु सुरक्षित होने तक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई थीं।

5. उन सभी प्रकरणों में, जहां भविष्य निधि खाते से अतिरिक्त आहरण के आधार पर वसूली करने का प्रस्ताव करने वाले वसूली आदेशों/नोटिसों को चुनौती दी गई है, इस न्यायालय के समक्ष यह बहुत



पूरजोर तर्क किया गया है कि **रफीक मसीह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्णय के दृष्टिगत सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई वसूली स्वीकार्य नहीं होगी, भले ही यह स्वीकार किया जाए कि सेवक द्वारा सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद कोई अतिरिक्त आहरण की गई थी।

रफीक मसीह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसमें यह विवाद्यक माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों के समक्ष विचार के लिए आया था, निम्नानुसार प्रारंभिक पैराग्राफ में अभिनिर्धारित किया गया है –

“वर्तमान प्रकरणों में सभी निजी उत्तरवादीगण को उनके हक से ज़्यादा मौद्रिक लाभ दिए गए थे। ये लाभ उन्हें संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके लिए देय उपलब्धियाँ निर्धारित करने में की गई त्रुटि के परिणामस्वरूप मिले थे। यह त्रुटि कई कारणों से हुई हो सकती है; जिसमें संबंधित सेवक को ऐसा दर्जा दिया जाना शामिल है, जिसका वह हकदार नहीं था; या संबंधित सेवक के अधिकार के अनुरूप उच्च वेतनमान में वेतन का संदाय; या वेतनमान में ऊपर की ओर संशोधन के परिणामस्वरूप सेवक के वेतन का त्रुटिपूर्ण निर्धारण; या ऐसे भत्ते दिए जाने के कारण, जिसके लिए संबंधित सेवक अधिकृत नहीं था। प्रकरण का सार यह है कि सभी निजी उत्तरवादी नियोक्ता द्वारा की गई त्रुटि के लाभार्थी थे, और उक्त अनजाने में की गई त्रुटि के कारण सेवकों को उनके हक से ज़्यादा मौद्रिक लाभ प्राप्त हुए।”

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने वाले सेवकों का वर्ग ऐसा था जो ऐसी कोई सूचना देने का दोषी नहीं था जिसके कारण संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने सेवकों को अधिक संदाय करने की त्रुटि की हो। यह उक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ से स्पष्ट होगा जो सुसंगत भी है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है –

“2. इन प्रकरणों में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तरवादी सेवक कोई अनुचित जानकारी देने के दोषी नहीं थे, जिसके कारण संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने सेवकों को अधिक संदाय करने की त्रुटि की हो। इन सभी प्रकरणों में निजी उत्तरवादीगण को अधिक बकाया राशि का संदाय उनके द्वारा की गई किसी त्रुटिपूर्णबयानी के कारण नहीं था, न ही उनके द्वारा की गई किसी धोखाधड़ी के कारण था। उत्तरवादी सेवकों को अनुचित मौद्रिक लाभ प्रदान करने में नियोक्ता द्वारा की गई त्रुटि में निजी उत्तरवादीगण की किसी भी तरह की भागीदारी को पूर्णतः खारिज किया जाता है। अतः यह दर्ज करना अनुचित नहीं होगा कि निजी उत्तरवादी उनके वर्धित उपलब्धियाँ के त्रुटिपूर्ण निर्धारण में उनके नियोक्ताओं के समान ही निर्दोष थे।”



इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वे सेवक थे, जिन्हें अपनी सेवा के दौरान वेतन निर्धारण, उपलब्धियां, भत्ते आदि तय करने में कुछ त्रुटियों के कारण अधिक उपलब्धियां दी गई थीं और वे सेवक कोई गलत सूचना देने के दोषी नहीं थे। उपरोक्त निर्णय में विचारार्थ आए विभिन्न निर्णय सभी इस आधार पर की गई वसूली से संबंधित थे कि सेवा में रहते हुए शासकीय सेवकों को विधि के अधीन उनकी पात्रता से अधिक वेतन दिया गया था। कोई भी प्रकरण भविष्य निधि खाते से अधिक आहरण के प्रकरण से संबंधित नहीं था। उन मामलों में अंतर किया जाना चाहिए जहां किसी सेवारत या सेवानिवृत्त सेवक से इस आधार पर वसूली की मांग की जाती है कि किसी त्रुटि के कारण, जो सेवक के कारण नहीं है, अधिक संदाय किया गया है और उन मामलों में, जहां कोई सेवक भविष्य निधि खाते से अग्रिम या आंशिक आहरण के रूप में पैसा निकाल रहा था। भविष्य निधि का सृजन एक वैधानिक निधि है, यह सार्वजनिक रोजगार की एक विशेषता है, जहां सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए, पूरे सेवाकाल में योगदान के साथ वेतन से अनिवार्य कटौती की जाती है, ताकि सेवानिवृत्ति के समय, एक शासकीय सेवक के हाथ में एक पर्याप्त राशि हो, ताकि वह अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, जिसमें गृह निर्माण, विवाह और अन्य योजनाएं शामिल हैं, जिनमें एकमुश्त राशि का संदाय शामिल हो सकता है। यह उसके उपलब्धियों का हिस्सा नहीं है और न ही यह कहा जा सकता है कि सेवा में रहते हुए, उसे नियोक्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से वेतन का संदाय किया गया था, जिसे उसने उपभोग किया और तत्पश्चात, यदि उसे वापस लेने की स्वीकृति दी जाती है, तो इससे उसे गंभीर कठिनाई होगी, जो **रफीक मसीह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पीछे मार्गदर्शक भावना प्रतीत होती है। एक सेवक पूर्णतः जानता है कि जीपीएफ खाते में उसके खाते में कितनी राशि जमा है। यदि वह उक्त खाते से अधिक आहरण करता है, तो उसके पक्ष में कोई हिस्सेदारी नहीं है कि बाद में वह यह तर्क दे कि उसे केवल इसलिए राशि के पुनर्संदाय की जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह सेवानिवृत्त सेवक है। अतः, मेरे अभिमत में, **रफीक मसीह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में वसूली के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश उन प्रकरणों पर लागू नहीं होते हैं, जहां भविष्य निधि खाते से अधिक आहरण के कारण वसूली का आदेश दिया गया है।

6. किसी सेवक की भविष्य निधि का गठन एवं शासन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्मित मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जो 1 अप्रैल, 1955 को लागू हुए। नियम 9 में निम्नानुसार अंशदान का प्रावधान है –



"9.अभिदाताओं के खाते – प्रत्येक अभिदाता के नाम पर एक खाता खोला जाएगा, जिसमें दर्शाया जाएगा:

- (i) उसकी सदस्यताएँ;
- (ii) नियम 14 के उप-नियम (2) में प्रावधान के अनुसार अभिदान पर ब्याज;
- (iii) बोनस, जैसा कि सदस्यता पर नियम 14-क द्वारा प्रदान किया गया है; तथा
- (iv) निधि से अग्रिम और आहरण

नियम 9 के अधीन खाता बनाए रखना आवश्यक है। अंशदान ब्याज, बोनस के विवरण के अलावा निधि से अग्रिम और आहरण को भी रिकार्ड करना आवश्यक है।

नियम 14 (7) अधिकारियों को वसूली के लिए अधिकृत करता है, जहां अभिदाताओं ने निधि से आहरण की है, आहरण की तारीख को उनके खाते में जमा राशि से अधिक राशि, चाहे अधिक आहरण अग्रिम या आहरण या निधि से अंतिम संदाय के दौरान हुई हो। सुसंगत नियम नीचे उद्धृत किया गया है –

"14 (7). यदि कोई अभिदाता निधि से आहरण की तिथि को अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि आहरण करते पाया जाता है, तो अधिक आहरित राशि, चाहे अधिक आहरित अग्रिम या आहरण या निधि से अंतिम संदाय के दौरान हुई हो, उसे उस पर ब्याज सहित एकमुश्त चुकाना होगा, या चूक होने पर, अभिदाता के वेतन से एकमुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि अभिदाता के वेतन के आधे से अधिक है, तो पूरी राशि ब्याज सहित वसूल होने तक उसके वेतन के आधे भाग की मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी। इस नियम के लिए अधिक आहरित राशि पर लगाई जाने वाली ब्याज दर उप-नियम (1) के अंतर्गत भविष्य निधि शेष की सामान्य दर से 21/2% अधिक होगी। अधिक आहरित राशि पर वसूला जाने वाला ब्याज इसे एक अलग उप-शीर्षक "भविष्य निधि से अधिक आहरित राशि पर ब्याज" के अंतर्गत शासकीय खाते में जमा किया जाएगा।

नियम 15 निधि से अग्रिम राशि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है और नियम 16 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सभी अग्रिम राशियों की वसूली नियमों के अधीन निर्धारित तरीके से की जाएगी। नियम 16-क आहरण (अग्रिम राशि नहीं) की मंजूरी का प्रावधान करता है। नियम 16-ग अग्रिम राशि को आहरण में परिवर्तित करने की स्वीकृति देता है।



भविष्य निधि नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि नियम किसी भी परिस्थिति में सेवक के खाते में अग्रिम राशि लेने या आहरण करने की तिथि से अधिक राशि की आहरण की स्वीकृति नहीं देता है। यह अग्रिम राशि लेने और आहरण के लिए विभिन्न पात्रता आवश्यकताओं के अतिरिक्त है, जो विशेष रूप से उपरोक्त नियमों में उल्लिखित हैं। जहां अग्रिम राशि या आहरण पात्रता से अधिक पाई जाती है, वहां नियम 14 (7) वसूली को भी अधिकृत करता है।

तथापि, नियम 14 (7) में "उपलब्धियाँ" शब्द का प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नियम बनाने वाले प्राधिकारी की मंशा को प्रकट करता है। "उपलब्धियाँ" शब्द को सामान्य भविष्य निधि नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। नियम 2 (ख) में प्रावधान है कि नियम में प्रयुक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति जो भविष्य निधि अधिनियम अथवा सेवा नियमों में परिभाषित है, उसमें परिभाषित अर्थ में प्रयुक्त होगी। "उपलब्धियाँ" शब्द को भविष्य निधि अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। अतः उक्त "उपलब्धियाँ" शब्द का अर्थ म.प्र./छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में दी गई परिभाषा से लिया जाना चाहिए, जिसमें "उपलब्धियाँ" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

नियम 3 (घ)- "उपलब्धियाँ" का तात्पर्य नियम 30 में परिभाषित उपलब्धियों से है;

नियम 30 में उपलब्धियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

नियम 30. उपलब्धियाँ- "उपलब्धियों" से अभिप्रेत है मूलभूत नियमों के नियम 9(21) में परिभाषित वेतन (जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर पारित आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, महंगाई वेतन, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए) जो शासकीय सेवक अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व तथा उसकी मृत्यु के दिनांक को, जैसा भी प्रकरण हो, प्राप्त कर रहा था।

[स्पष्टीकरण-(1) उन शासकीय सेवकों के लिए, जो मध्यप्रदेश पुनरीक्षित वेतनमान, 1990 या मध्यप्रदेश पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 या यूजीसी के वेतनमानों में या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अथवा अखिल भारतीय सेवा वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं, अभिव्यक्ति 'उपलब्धियों' से आशयित है मूल वेतन जैसा मूलभूत नियमों के नियम 9(21) (a) (i) में परिभाषित है, जो कि एक शासकीय सेवक उसकी सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व प्राप्त कर रहा था तथा इसमें यदि कोई हो, महंगाई वेतन और वैयक्तिक वेतन भी शामिल होगा, जैसा कि समय-समय पर राज्य शासन के आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया जावे।"

(2) शीघ्रलेखकों का द्विभाषी भत्ता सेवानिवृत्ति परिलाभों की संगणना हेतु 'उपलब्धियों' के समान समझा जाएगा।

(3) पदोन्नति पर उच्च वेतनमान के बदले में विशेष वेतन, यदि कोई हो, प्राप्त किया गया है, को भी सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु 'उपलब्धियों' के समान हिसाब में लिया जाएगा।



[**टिप्पणी 1.** – यदि कोई शासकीय सेवक अपनी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्युकाल के तत्काल पूर्व सेवा के दौरान अवकाश पर कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है, जिसके लिए अवकाश वेतन देय है या निलम्बित होने से बिना राजसात हुए बहाल किया गया है, तो उपलब्धियों जो वह आहरित करता यदि वह कर्तव्य से अनुपस्थित अथवा निलम्बित नहीं होता तो, इस नियम के प्रयोजनार्थ उपलब्धियां होगी ।

[**टिप्पणी 2.** – यदि कोई शासकीय सेवक अपनी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्युकाल के तत्काल पूर्व सेवा के दौरान असाधारण अवकाश पर कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है अथवा निलम्बित रहा है, जिसकी समयावधि सेवा के समान गणन नहीं की जाती है, उपलब्धियां जो उसने अवकाश पर प्रस्थान करने के तत्काल पूर्व या निलम्बनाधीन रहने के कारण आहरित की हैं, इस नियम के प्रयोजनार्थ उपलब्धियां होगी।

[**टिप्पणी 3.** – यदि कोई शासकीय सेवक अपनी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्युकाल के तत्काल पूर्व अर्जित अवकाश पर था तथा वेतन वृद्धि जिसे रोका नहीं गया था, अर्जित की थी, ऐसी वेतन वृद्धि, यद्यपि वास्तविक रूप से आहरित नहीं हुई थी, उसके उपलब्धियों का हिस्सा होगा:

बशर्ते कि 120 दिनों से अधिक नहीं अर्जित अवकाश के दौरान जहां ऐसा अवकाश 120 दिनों से अधिक का था प्रथम 120 दिन के अर्जित अवकाश के दौरान अर्जित कर ली गई हो ।

[**टिप्पणी 4.** – बाह्य सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक द्वारा आहरित वेतन को उपलब्धियों के रूप में नहीं माना जाएगा, परंतु यदि वह बाह्य सेवा में वेनहीं गया होता तो शासन के अधीन उसके द्वारा जो वेतन आहरित किया जाता, केवल वही उपलब्धियों के रूप में माना जाएगा।

[**टिप्पणी 5.** – यदि पेंशनर शासकीय सेवा में पुनः नियुक्त किया जाता है, नियम 17 के उपनियम (1) के खंड (क) या नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (क) के निबन्धनों के अनुसार अपनी पूर्व सेवा की पेंशन यथावत रखने का चयन किया है और जिसका पुनः नियुक्ति पर जिसका वेतन उस धनराशि तक कम किया गया है जो उसकी पेंशन से अधिक नहीं है तो ,पेंशन का वह भाग जिसके द्वारा उसके वेतन को कम किया गया है, उपलब्धियों के रूप में माना जाएगा।

[**टिप्पणी 6.** – शासन के किसी विभाग का स्वायत्त निकाय के रूप में सम्पूरित होने के फलस्वरूप यदि किसी शासकीय कर्मचारी को उस निकाय में स्थानान्तरित किया जाता है और इस प्रकार स्थानान्तरित शासकीय सेवक शासन के नियमों के अधीन पेंशन संबंधी लाभों को प्रतिधारित रखने के लिए विकल्प देता है, तो उस स्वायत्त निकाय के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ उपलब्धियां मानी जाएगी।”

7. उक्त प्रावधान को पठन से ज्ञात होता है कि परिभाषा संपूर्ण है तथा समावेशी नहीं है। यह मूलभूत नियम 9(21) में दी गई परिभाषा से प्रभावित है, जो निम्नानुसार है—



नियम 9(21)(क)– "वेतन" से अभिप्रेत शासकीय सेवक को मासिक रूप से प्राप्त होने वाली राशि से है, जैसे–

(i) विशेष वेतन या उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर दिए जाने वाले वेतन के अलावा वेतन, जो उसके द्वारा मूल रूप से या स्थानापन्न क्षमता में धारित किसी पद हेतु स्वीकृत किया गया हो या जिसका वह किसी संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण हकदार हो, और

(ii) तकनीकी वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन, या समुद्रपार वेतन

(iii) शासन द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत अन्य उपलब्धियां

(ख) 1 जुलाई, 1924 को लागू वेतन दरों के अधीन सैन्य अधिकारी के प्रकरण में, वेतन में वह राशि शामिल है जो उसे निम्नलिखित पदनामों के अधीन मासिक रूप से प्राप्त होती है:–

(i) नियुक्ति वेतन, आवास भत्ता और विवाह भत्ता, और

(ii) रैंक वेतन, कमांड वेतन, अतिरिक्त वेतन, भारतीय सेना भत्ता, आवास भत्ता और विवाह भत्ता।

(ग) 1 जुलाई 1924 से पहले लागू वेतन दरों को प्राप्त करने वाले सैन्य अधिकारी के वेतन में वह राशि शामिल है जो उसे निम्नलिखित पदनामों के अधीन मासिक रूप से प्राप्त होती है:–

(i) सैन्य वेतन और भत्ते तथा कर्मचारियों का वेतन,

(ii) भारतीय सेना वेतन और कर्मचारियों का वेतन, और

(iii) समेकित वेतन।

मूलभूत नियम 9 (21) में दी गई परिभाषा के अतिरिक्त, इसमें महंगाई वेतन भी शामिल है। यद्यपि, इसमें पेंशन शामिल नहीं है और न ही भविष्य निधि नियमों या पेंशन नियमों में ऐसा कुछ है जो यह आमंत्रित करे कि भविष्य निधि नियमों के नियम 14 (7) में प्रयुक्त शब्द "उपलब्धियाँ" को पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति बकाया को शामिल करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जिसका कोई सेवक हकदार है या वास्तव में सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त करता है। इसलिए, नियम 14 (7) की योजना केवल उन उपलब्धियों से वसूली की स्वीकृति देती है जो सेवक सेवा में रहते हुए प्राप्त कर रहा है। इसलिए, नियम 14 (7) का सेवक के सेवानिवृत्त होने के बाद कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। सेवानिवृत्ति की स्थिति में पेंशन



नियम के नियम 65 और 66 के अधीन सेवानिवृत्त सेवक से शासकीय बकाया राशि वसूल की जा सकती है, जो सुसंगत होने के कारण नीचे उद्धृत है -

"65. शासकीय बकाया की वसूली और उसका समायोजन- (1) प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक का कर्तव्य है कि वह अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व समस्त शासकीय बकाया का संदाय कर देवे।

(2) जहाँ शासकीय सेवक बकाया राशि को शासन को वापस नहीं करता तब,

(क) उससे समतुल्य नकद राशि प्राप्त कर ली जावे; या

(ख) उसको, उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी को संदाय होने वाले उपादान में से, अभिनिश्चय शासकीय बकाया के कारण वसूली योग्य राशि के समतुल्य राशि काट लिया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण-1. "अभिनिश्चय शासकीय बकाया" में गृह निर्माण या परिवहन अग्रिम का शेष, शासकीय आवास के कब्जे से संबंधित भाड़ा व अन्य शुल्कों का बकाया, वेतन और भत्तों का अधिक संदाय और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का क्र. 43) के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य आयकर का बकाया शामिल है।

66. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक द्वारा प्रतिभूति पेश करना-

(1) (क) यदि नियम 65 में उल्लिखित के अतिरिक्त कोई शासकीय बकाया किसी कारण से वसूल नहीं हुआ है या उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है, तो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को फॉर्म 8 में पेंशन योग्य पद पर आसीन किसी उपयुक्त स्थायी शासकीय सेवक की प्रतिभूति पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(ख) यदि उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति स्वीकार्य पाई जाती है तो उसकी पेंशन और उपादान प्रदान करने में विलम्ब नहीं किया जाएगा।

(2) (क) यदि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक प्रतिभूति पेश करने में असमर्थ है या ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तो उससे उपयुक्त नकद जमा लिया जा सकता है या उसे देय उपादान का ऐसा हिस्सा जो पर्याप्त माना जाए, बकाया बकाया राशि का मूल्यांकन और समायोजन होने तक रोक कर रखा जा सकता है।

(ख) ली जाने वाली नकद जमा या रोकी जाने वाली उपादान की राशि बकाया बकाया राशि की अनुमानित राशि और उसके पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) जहां अनुमानित राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। राशि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक से वसूली योग्य जमा की जाने वाली राशि या रोके जाने वाले उपादान का हिस्सा उपादान की राशि का दस प्रतिशत या एक हजार रुपये, जो भी कम हो, तक सीमित होगा।



(3) (क) शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के भीतर वसूली योग्य शासकीय बकाया का आकलन और समायोजन करने का प्रयत्न किया जाएगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर शासकीय सेवक के विरुद्ध शासकीय खाते में कोई दावा नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसके विरुद्ध कोई शासकीय दावा मकान भाड़ा और जल शुल्क के दावे को छोड़कर बकाया नहीं है।

(ख) निर्धारित शासकीय बकाया को नकद जमा या उपादान से रोकी गई राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को जारी की जाएगी।

(ग) जहां पेंशनभोगी ने प्रतिभूति दी है, वहां प्रतिभूति को खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात मुक्त कर दिया जाएगा बशर्ते कि उस समय तक निर्धारित बकाया राशि वसूल कर ली गई हो। (4) उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वसूल न किए गए शासकीय बकाया और ऐसे अन्य बकाया, जिनके लिए दावा उस अवधि के पश्चात प्राप्त होता है, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक से विधिक प्रक्रिया द्वारा वसूल किए जा सकेंगे:

परंतु कि मकान भाड़ा और जल शुल्क के संबंध में, यदि कोई राशि है, जिसके लिए दावा शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की तिथि से 12 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त होता है, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक से वसूल नहीं किए जा सकेंगे।”

नियम 65 के अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सभी शासकीय बकाया चुकाना अनिवार्य है। उक्त नियम में "शासकीय बकाया" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु नियम 65 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण पता लगाने योग्य शासकीय बकाया की एक समावेशी परिभाषा देता है। इसलिए, शासकीय बकाया का अर्थ बहुत व्यापक है और इसमें कोई भी राशि शामिल हो सकती है जिसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को सरकार को चुकाना होता है। "शासकीय बकाया" शब्द की तर्कसंगत और तार्किक व्याख्या के अनुसार, कोई कारण नहीं है कि जीपीएफ खाते से की गई अतिरिक्त आहरण को उक्त शब्द के अर्थ में शामिल न किया जाए। इसलिए, जहां किसी सेवक ने सेवाकाल के दौरान अपने जीपीएफ खाते से भविष्य निधि में जमा राशि से अधिक राशि निकाली है, वहां भविष्य निधि नियम के नियम 14 (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार वसूली की जा सकती है, लेकिन यदि वसूली नहीं की जा सकती है और शासकीय सेवक ने निकाली गई राशि जमा नहीं की है और सेवानिवृत्त हो जाता है, तो पेंशन नियम के नियम 65 और नियम 66 लागू होंगे, जिससे शासकीय सेवक को शासकीय बकाया का संदाय करना होगा। लेकिन फिर, पेंशन नियम के नियम 66 के अधीन वसूली करने के अधिकार की सीमा अवधि के संदर्भ में है जिसके अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि पेंशन नियम के नियम 66 (4) में निहित प्रावधानों से परिलक्षित होता है जो यह निर्धारित करता है कि उप नियम 3 के खंड (क) में



निर्दिष्ट अवधि के भीतर अप्राप्त शासकीय बकाया और ऐसे अन्य बकाया, जिनके लिए दावा उस अवधि के बाद प्राप्त होता है, सेवानिवृत्त शासकीय सेवक से विधिक प्रक्रिया द्वारा वसूल किए जा सकेंगे। उप नियम 3 के खंड (क) के अधीन निर्धारित अधिकतम अवधि छह माह है। उक्त अवधि के भीतर, नकद जमा या उपादान से रोकी गई राशि के विरुद्ध वसूली योग्य बकाया राशि को समायोजित करने की स्वीकृति है। उप नियम 4 के प्रावधान में मकान किराया और पानी के शुल्क के संबंध में एक अपवाद बनाया गया है, जिसके अधीन वसूली की जा सकने वाली अवधि 12 माह होगी।

8. इस प्रकार, भविष्य निधि नियम और पेंशन नियम की वैधानिक योजना से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वसूली करने की वैधानिक शक्ति सीमित है और कुछ वैधानिक नुस्खे के साथ उलझी हुई है। जब तक सेवक सेवा में है, तब तक वेतन से वसूली अनुमेय होगी और सेवानिवृत्ति के बाद, ऐसी वसूली विभिन्न देय राशियों से उचित समायोजन करके की जा सकती है जो सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होगी या सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति के समय ली गई नकद जमा राशि। महत्वपूर्ण पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि यदि 6 माह / 12 माह की अवधि समाप्त हो जाती है, तो विधि के अधीन वसूली को प्रभावी करने के लिए एकमात्र तरीका पेंशन नियमों के नियम 66 (4) के अधीन प्रदान की गई विधिक प्रक्रिया द्वारा होगा।

9. जहां तक पेंशन का प्रश्न है, इसे पेंशन नियम 1976 के अधीन प्रदान किया जाता है और संरक्षित भी किया जाता है। नियम 9 में निहित प्रावधानों के अनुसार पेंशन रोकी या वापस ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसा किया जा सकता है और वह प्रक्रिया जिसका पालन किया जाना आवश्यक है और साथ ही उस अवधि के संदर्भ में रोकने या वापस लेने की ऐसी शक्ति की सीमाएं जिसके भीतर यह अनुमेय है, उपरोक्त नियम में चित्रित की गई हैं। इसलिए, यदि पेंशन नियम के नियम 9 में उल्लिखित आधारों पर, सक्षम प्राधिकारी पेंशन वापस लेने या रोकने का फैसला करता है, तो नियम 9 का सहारा लेना होगा और यह उक्त नियम के अधीन राज्यपाल को दी गई वैधानिक शक्ति के बिना कार्यकारी आदेश द्वारा नहीं किया जा सकता है।

10. किसी भी प्रकरण में उत्तरवादी ने यह तर्क नहीं दिया है कि पेंशन नियमों के नियम 9 के अधीन वसूली के लिए राज्यपाल द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, यदि ऐसा करना अनुमेय है। यह स्पष्ट है कि कुछ जांचों में अधिकारियों ने पाया है कि वर्तमान प्रकरणों में याचिकाकर्ता, जो या तो पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सेवक हैं या सेवानिवृत्त सेवकों के नामित व्यक्ति हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे थे, यह पाया गया कि शासकीय सेवक ने सेवा में रहते हुए, अपनी सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि राशि के रूप में प्राप्त करने के हकदार राशि से अधिक राशि निकाली थी। ऐसे कई



प्रकरण हैं जहां नकारात्मक शेष राशि लाखों रुपये दिखाती है, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेशों / नोटिसों के अधीन भारी वसूली प्रस्तावित है। तर्क के दौरान, सभी उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क किया कि भविष्य निधि खाता, जीपीएफ पासबुक की छानबीन की गई और जमा, आहरण आदि के संबंध में की गई विभिन्न प्रविष्टियों की भी जांच की गई और फिर अंत में, जब यह पाया गया कि ग्राहक भविष्य निधि खाते ऋणात्मक राशि दिखा रहे हैं, तो आक्षेपित नोटिस जारी किए गए। यदि ऐसा है, तो इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त सेवक हैं और उनके विरुद्ध वृहत राशि वसूलने का प्रस्ताव है, सुनवाई का अवसर देकर, यद्यपि संक्षिप्त प्रकृति की जांच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यद्यपि सभी नोटिसों में, याचिकाकर्तागण को नोटिस में उल्लिखित राशि जमा करने के लिए कहा गया है, उत्तरवादीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने प्रस्तुत किया कि ये केवल वसूली का प्रस्ताव करने वाले नोटिस हैं और यदि सेवानिवृत्त सेवक/या नामित व्यक्ति जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, के पास विधि या तथ्यों पर कोई बचाव है, तो वे जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन प्राधिकरण को संतुष्ट करने के लिए उचित उत्तर देने के बजाय कि नकारात्मक शेष दिखाना सही नहीं है, याचिकाकर्तागण ने न्यायालय का शरण लिया है। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, सभी याचिकाकर्ता नोटिस/वसूली आदेशों के प्रभावी होने से पहले सुनवाई का अवसर पाने के हकदार हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता प्रस्तावित वसूली पर अपने व्यक्तिगत जवाब/आपत्ति उस प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के हकदार हैं जिसने उन्हें नोटिस जारी किया है। वसूली पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी उत्तर की विधिवत जांच करेगा, अभिलेखों का सत्यापन करेगा और नियमों के अधीन स्वीकृति के अधीन विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है। व्यक्तिगत याचिकाकर्ता के प्रकरण में निर्णय लेते समय, वसूली की स्वीकृति किसी न किसी तरह से तय करने के लिए ऊपर उल्लिखित विधिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक याचिकाकर्ता आज से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर अपना-अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। प्राधिकारी को जवाब प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की बाहरी सीमा के भीतर प्रकरण में निर्णय लेना होगा। इस आदेश की एक प्रति प्राधिकारी के समक्ष प्रतिक्रिया/आपत्ति/उत्तर के साथ अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। प्राधिकारी को बोलने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

11. जहां तक उन मामलों का प्रश्न है, जहां सेवानिवृत्त सेवक से इस आधार पर वसूली की जा रही है कि उन्हें सेवा में रहते हुए उनके हक से अधिक वेतन, भत्ते, वेतन वृद्धि आदि का संदाय किया गया था, **रफीक मसीह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूर्णतया लागू होता है। उनके प्रकरणों का निर्णय उक्त निर्णय के पैरा 18 में जारी निर्देश को विचार में रखते हुए किया जाना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त निर्णय के पैरा 18 के (i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा से संबंधित सेवकों से वसूली पूर्णतः अस्वीकार्य होगी और उनसे कोई वसूली



नहीं की जाएगी। अन्य प्रकरणों में शासित मामलों के संबंध में, व्यक्तिगत तथ्यों की उचित जांच आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त, जिन प्रकरणों में वचनपत्र दिया गया है, उनमें **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय व अन्य विरुद्ध जगदेव सिंह²** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात वसूली की स्वीकृति होगी, जिसमें रफीक मसीह के प्रकरण के पैरा 18 के प्रस्ताव (ii) का अपवाद निम्नानुसार दिया गया था –

“11. प्रस्ताव (ii) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण जैसी स्थिति पर लागू नहीं हो सकता। वर्तमान प्रकरण में, जिस अधिकारी को पहले संदाय किया गया था, उसे स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि यदि कोई संदाय अधिक पाया गया तो उसे वापस किया जाना आवश्यक होगा। अधिकारी ने संशोधित वेतनमान के विकल्प का चयन करते समय एक वचनपत्र पेश किया। वह वचनपत्र से बंधा हुआ है।”

12. तदनुसार, समस्त याचिकाएँ उपरोक्त वर्णित रीति एवं सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।



सही / –

(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।